

EXTRAORDINARY

भाग []]—खण्ड 4 PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHURITY

सं, 246 No. 246] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर ८, २०१२/कार्तिक १७, १९३४

NEW DELHI, THURSHAY, NO YEMBER 8, 2012/KARTIKA 17, 1934

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, ४ नवस्बर, 2012

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (तकनीकी संस्थाओं (डिप्लोमा) में शिक्षकों तथा अन्य श्रीक्षणिक स्टॉफ के लिए कैरियर उन्नति योजना] विनियम, 2012

फा. सं. 37-3/विधिक/2012.-- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 (i) और (v) के साथ पित धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद निम्न विनियम बनाती है :

1. संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता एवं आरमः

- 1.1 इन विनियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं (डिप्लोमा) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टॉफ के लिए कैरियर उन्नति योजना} विनियम, 2012 कहा जाएगा।
- 1.2 ये उन सभी अभातशिप अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं पर लागू होंगे, जो तकनीकी शिक्षा तथा ऐसे अन्य पाठ्यक्रम / कार्यक्रम और विषय—क्षेत्र संचालित कर रही हैं, जैसेकि परिषद डारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं।
- 1.3 ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

परंदुः किसी स्थिति में, कोई अभ्यर्थी इन विनियभों की शर्तों के अनुसार दिनांक 05 मार्च, 2010 को या उसके बाद कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत पदोन्नति के लिए पात्र होता है, तो उसकी पदोन्नति इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।

कैरियर उन्नित योजना (सी.ए.एस.) :

- 2.1 जो शिक्षक सी.ए.एस. के अंतर्गत पदोन्नित के लिए विचार किए जाने हेतु इच्छुक है, वह कियत तिथि से पूर्व तीन माह के भीतर राज्य सरकार/महाविद्यालय को लिखित में यह प्रस्तुत करेगा/करेगी कि वह सी.ए.एस. के अंतर्गत सभी अर्हताओं की पूर्ति करता/करती है तथा संबंधित राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए प्रपन्न में राज्य सरकार/महाविद्यालय को निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) को प्रस्तुत करेगा/करेगी, जिसके साथ इन विनियमों में निर्धारित अकादिमक निष्पादन सूंचकांक (ए. पी.आई.) दिशानिर्देश (पिरिशिष्ट -!) के अनुसार प्रत्यायक अवश्य ही संलग्न किए जाने चाहिए।
- 2.2 सी.ए.एस. के अंतर्गत विभिन्न पदों में चयन समिति की बैठकों को आयोजित करने में होने वाले विलंब को बचाने के लिए राज्य सरकार/महाविद्यालय को स्क्रीनिंग/चयन की प्रक्रिया को तत्काल आरंभ करना चाहिए तथा आवेदन की तिथि से छः महि के भीतर प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहिए। इसके अलावा, किसी भी किंदिनाई से बचने के लिए. जो अभ्यर्थी इन विनियमों में उल्लिखित अन्य मानदंडों की दिनांक 5 मार्च, 2010 तक तथा इस विनियम के अधिसूचित होने की तिथि तक पूर्ति करते हैं. उनके नामों पर 5 मार्च, 2010 को अथवा उसके पश्चात् उस तिथि से जब ये इन पात्रता शर्तों की पूर्ति करते हैं. पदोन्नित पर विवार किया जा सकता है।
- 2.3 जो अभ्यर्थी परिशिष्ट-। की तालिका-।। (क) तथा ।। (ख) के अनुसार विनियमों में प्रस्तावित ए.पी.आई. अंक प्रणाली के अंतर्गत न्यूनतम अंक अपेक्षा पूरी नहीं करते हैं अथवा जो चयन प्रक्रिया के विशेषज्ञ आकलन में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करते हैं, उनका पुन:मूल्यांकन न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के पश्चात् ही किया जाएगा। पदोन्नित की तिथि वह तिथि होगी, जिसको उसका सफलतापूर्वक पुन: मूल्यांकन कर लिया गया है।
- 2.4 इन विनियमों के खंड 4 में यथाविनिर्दिष्ट चयन समिति के विनिर्देशन लेक्चरर से लेक्चरर (धरिष्ठ वेतनमान) से लेक्चरर (प्रवरण ग्रेड) के लिए कैरियर उन्नति के अंतर्गत पदोन्नतियों पर लागू होंगे।
- 2.5 किसी निम्न ग्रेड से लेक्चरर / लेक्चरर (वरिष्ठ वेतनमान) के उच्च ग्रेड के लिए सी.ए.एस. पदोन्नतियां "स्क्रीनिंग- सह--मूल्यांकन समिति" द्वारा संचालित की जाएंगी, जिसमें ... परिशिष्ट--। की तालिकाओं में निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) में अकादिमक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) अंक के अनुसार निर्धारित मानदंडों का अनुपालन किया जाएगा।
- 2.6 लेक्चरर / लेक्चरर (विरिष्ठ वेतनमान) की एक एजीपी से अन्य उच्च एजीपी के सी.ए.एस. पदोन्नित के लिए "स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति" निम्न से मिलकर बनेगी :-

(1) महाविद्यालयों (कालेजों) के शिक्षकों के लिए "स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति" :

- 11 गहाविद्यालय का प्राचार्य / निदेशक.
- (ii) महाविद्यालय के संबंधित विभागाध्यक्ष; जहां विभागाध्यक्ष नहीं है, वहां पर प्राचार्थ / निदेशक द्वारा नामित कोई प्रोफेसर, जोकि उसी संस्थान अथवा संबंधित राज्य के अधिकार क्षेत्र के किसी भी संस्थान का हो सकता है ; तथा
- (iii) राज्य सरकार के विशेषज्ञों के पैनल में से संबंधित विषय के दो नामित विशेषज्ञ

(2) सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त / सरकारी स्वायत्त महाविद्यालयों हेतु :

- जैसा कि संबंधित राज्य सरकारों / शासी मंडलों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- 2.7 उपर्युक्त वर्णित दोनों श्रेणियों की इन समितियों के कोरम हेतु एक विषय विशेषज्ञ / राज्य के नामिती सहित कम से कम तीन व्यक्तियों की उपस्थिति आवश्यक है।
- 2.8 इन विनिथमों पर आधारित 'पी.बी.ए.एस.' पद्धति, जोकि संबंधित तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा बनाई गई है, के गाध्यम से तथा परिशिष्ट—। की तालिका—॥ और ॥। में निर्दिष्ट न्यूनतम अपेक्षा के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त ए.पी.आई. अंकों के सत्यापन / मूल्यांकन पर स्क्रीनिंग—सह-मूल्यांकन समिति सी:ए.एस. के अंतर्गत अभ्यर्थी (थिंयों) की पदोन्नित के लिए उपयुक्तता के बारे में. लेक्चरर के प्रत्येक कैंडर के लिए, राज्य सरकार / सिंडिकेट / कार्यकारिणी परिषद / कालेज प्रबंधन मंडल को क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करेगी।
- 2.9 उपर्युक्त चयन की समस्त प्रक्रियाएं चथन सिमित की बैठक के दिन ही पूरी हो जाएंगी, जिसमें बैठक का कार्यवृत दर्ज किया जाएगा, जिसमें चयनित के पी.बी.ए.एस. स्कोरिंग प्रपन्न सिहत चयनित का ब्यौरा तथा मेरिट के आधार पर जो अनुसंशा की गई, को कार्यवृत में दर्ज करते हुए चयन सिमित के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।
- 2.10 सी.ए.एस. पदोन्नित पदधारी शिक्षक की वैयक्तिक पदोन्नित होने के नाते, वह मूल स्वीकृत पद धारण करता है और उसकी सेवानिवृत्ति में उक्त पद अपने मूल संवर्ग में वापस चला जाएगा।
- 2.11 पदधारी शिक्षक को चयन /सी.ए.एस. पदोन्नति हेतु वयन समिति द्वारा विचार करने की तिथि को महाविद्यालयों की सक्रिय सेवा में होता चाहिए।
- 2.12 अभ्यर्थी यदि उपयुक्त ए.पी.आई. प्रणाली तालिका में दर्शाये गये न्यूनतम ए.पी.आई. अंकों को पूरा करते हैं, तो उन्हें पदोन्नति के लिए मूल्यांकन हेतु खयं आवेदन करना चाहिए। यदि वे अपने आपको अर्हक मानते हैं, तो पदोन्नति की नियत तिथि से तीन माह पूर्व वे ऐसा कर सकते हैं। सी.ए.एस. पदोन्नतियों के लिए पात्र अभ्यर्थियों के सूचनार्थ तथा इसके लिए आवेदन मांगने हेतु संबंधित महाविद्यालय वर्ष में दो बार सामान्य परिपन्न जारी करेगा।

- 2.13 मुख्य भूल्यांकन में, यदि अभ्यर्थी प्रस्तावित पी.बी.ए.एस. प्रोफामां के अधीन न्यूनतम आवश्यक अंक पाने में अथवा चयन प्रक्रिया के विशेषज्ञ भूल्यांकन में 50 प्रतिशत अंक पाने में असफल होते हैं, जैसा भी लागू हो, उन अभ्यर्थियों का न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के बाद पुनः मूल्यांकन किया जाएगा।
- 2.14 यदि कोई अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता अवधि के पूर्ण होने के ठीक बाद पदोन्नित हेतु आवेदम करता है और सफल हो जाता/जाती है, तो पदोन्नित की तिथि न्यूनतम पात्रता अवधि पूरी होने की तिथि से लागू होगी।
- 2.15 जबकि, यदि, अभ्यर्थी बाद की तिथि को यह पाता है कि वह पात्रता अर्हता पूरी करता / करती है तथा वह उस तिथि को आवेदन करता / करती है और सफल हो जाता / जाती है, तब उसकी पदोम्मिति आवेदन की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।
- 2.16 यदि अभ्यर्थी पहले मूल्यांकन में सफल नहीं होता है, परंतु पश्यातवर्ती मूल्यांकन में सफल हो जाता है, तो उसकी पदोन्नति सफलतापूर्वक मूल्यांकन होने की तिथि से मानी जाएगी।
- पदधारियों और नवनियुक्त लेक्चरर की कैरियर उन्नित योजना के अंतर्गत पदोन्नित के चरण :
 - 3.1 प्रवेश स्तर पर लेक्चरर (घरण-एक) कैरियर उन्निति योजना (सी.ए.एस.) के अंतर्गत तीन पायती चरणों (चरण दो, चरण तीन तथा धरण चार) के बाद पदोन्नित के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि पात्रता और कार्य निष्पादन मानदंड, जैसे कि अगले खण्ड में दर्शाये गये हैं, के अनुरूप उनका मूल्यांकन किया जाए।
 - 3.2 भूतलक्षी प्रभाव से सूचना को एकत्र करने और सी.ए.एस. पदोन्नतियों में 05 मार्च, 2010 से इन विनियमों के क्रियान्वयन में किठनाईयों को समाप्त करने के उपाय के रूप में ए.पी. आई. आधारित पी.बी.ए.एस. को भविष्य में उत्तरोत्तर समाप्त कर दिया जाएगा। तद्नुसार, जैसािक परिशिष्ट-। की तािलकाओं में उल्लेख किया है, श्रेणी एक और दो का ए.पी.आई. के अंकों के आधार पर पी.बी.ए.एस. को एक वर्ष के लिए क्रियान्वित करना है, प्रारम्भ में विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों की मौजूदा प्रणाली के आधार पर महाविद्यालय के शिक्षकों हेतु तािलका-॥ (क) तथा ॥ (ख) में दशींये गए न्यूनतम वािष्ठ अंक एक वर्ष के लिए होंगे। वर्षीयकृत ए.पी.आई. अंकों को प्रगामी रूप से सहयोजित किया जा सकता है, जब शिक्षक अगले सवर्ग में सी.ए.एस. पदोन्नति के लिए योग्य हो जाए। यदि किसी शिक्षक पर 2013 में सी.ए.एस. पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है, तो 2012-13 के लिए कंवल एक वर्ष के ए.पी.आई. अंक मूल्यांकन के लिए अपेक्षित होंगे। यदि शिक्षक पर 2014 में सी ए.एस. पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, तो इन श्रेणियों के लिए दो वर्ष के ए.पी. आई. अंक संवयी अंक मूल्यांकन के लिए अपेक्षित होंगे तथा इसी प्रकार पूर्ण मूल्यांकन अति। के लिए उत्तरीतर रूप से आगे चलेंगे।
 - 3.3 चार वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके लेक्चरर, जो प्रासंगिक विषयक्षेत्र में पीएच.डी. डिग्रीधारक हों, वे अगला रू० 6000 / का उच्च ग्रेड (चरण-2) प्राप्त करने के पात्र होंगे।

- 3.4 पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके लेक्चरर, जो संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर अथवा एम.फिल. डिग्रीधारक हों, वे अगला रू० 6000 / – का उच्च ग्रेड (चरण–2) प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- 3.5 लेक्चरर, जोकि प्रासंगिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पीएच.डी. अथवा एम.फिल. अथवा स्मातकोत्तर डिग्री धारक नहीं है, वे लेक्चरर के रूप में छः वर्ष की सेवा पूर्ण होने धर ही अगला रू0 6000 / - का उच्च ग्रेड (घरण 2) प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- 3.6 सभी लेक्चरर के लिए प्रवेश स्तर ग्रेड (धरण एक) से रूपये 6000 / के अयले उच्च ग्रेड (चरण दो) में पहुंचना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा इस विनियम में बनाए ए.पी.आई. अधारित पी.बी.ए.एस. की शर्तों के अधीन होगा।
- 3.7 रूपये 6000 / (चरण दो) ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके लेक्चरर, इन विनियमों में उल्लिखित ए.पी.आई. आधारित पी.बी.ए.एस. की शर्तों को पूरा करने के बाद ही रूपये 7000 / (चरण तीन) के अगले उच्च ग्रेड में जाने के पात्र होंगे।
- 3.8 रू.0 7000 / के ग्रेड (चरण—तीन) में तीन वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके लेक्चरर रूपये 8000 / के अगले उच्च ग्रेड (चरण—चार) के साथ रू.0 37400—67000 के वेतन बैंड में जाने के लिए इन विनियमों में उल्लिखित अर्हक शर्तों तथा ए.पी.आई आधारित पी.बी.ए.एस. शर्तों को पूरा करने के बाद ही पात्र होंगे तथा लेक्चरर (प्रवरण ग्रेड) के रूप में पदनामित किए जाने के पात्र होंगे। यद्यपि दिनांक 5 मार्च, 2010 के बाद सेवा में आने वालों को वरण—4 में जाने हेतु ऊपर उल्लिखित अपेक्षाओं के साथ—साथ पीएव.डी. डिग्री भी अर्जित करनी होगी।
- 3.9 वरण—3 में तीन वर्षों की सेवा पूर्ण कर धुकें लेक्चरर (वरिष्ठ वेतनमान). जोकि प्रासंगिक विषयक्षेत्र में पीएब.डी. डिग्रीधारक हैं, अगले रूठ 9000 / — के उच्च ग्रेड (चरण—चार) में नियुक्त होने तथा लेक्चरर (प्रवरण ग्रेड) के रूप में निम्नलिखित शर्तों के साथ पदनामित होने के पात्र होंगे :—
 - (क) परिशिष्ट—I की सारणी में दिए गए ए.पी.आई. आधारित पी.बी.ए.एस. आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक क्रेडिट अंकों की पूर्ति होने पर , तथा
 - (ख) विभागाध्यक्ष की सीधी भर्ती हेतु गठित की जाने वाली चयन समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद पात्र होंगे।
- 4. चयन समितियों एवं चयन प्रक्रिया के लिए दिशा—निर्देश : अभातशिप ने इस हेतु निम्न दिशा निर्देशों को विकसित किया है :
 - (क) सीधी भर्ती तथा सी.ए.एस. के अंतर्गत लेक्चरर, विभागाध्यक्ष, कार्यशाला अधीक्षक के चयन हेतु चयन समितियों का गठन।
 - (ख) महाविद्यालयों में शिक्षकों की सीधी भर्ती एवं कैरियर उन्नित योजना (सी.ए.एस.) विनियमों के अंतर्गत पदोन्नित के लिए विनिर्दिष्ट वयन प्रक्रिया। जबकि, महाविद्यालयों में अन्य शैक्षणिक स्टॉफ के लिए दिनांक 30,06,2009 के यू.जी.सी. दिशा निर्देशों तथा इसके बाद यू.जी.सी. द्वारा जारी किए गए इसके अन्य संशोधनों / शुद्धिपत्रों / स्पष्टीकरणों का अनुपालन किया जाए।

5. चयन समिति विनिर्देश:

5.1 निजी महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों में लेक्चरर :

निजी महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों में लेक्चरर के पद के लिए चयन समिति का यठन निम्न प्रकार से होगा :

- इस चयन समिति का अध्यक्ष, महाविद्यालय के शासी निकाय का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति, जो उनके सदस्यों में से होगा—वही चयम समिति का अध्यक्ष होगा।
- 2 महाविद्यालय का प्रिंसिपल / निदेशक।
- 3 महाविद्यालय में सम्बद्ध विषय का विभागाध्यक्ष ।
- 4 राज्य सरकार की ओर से नामित दो व्यक्ति हों, जिनमें से एक व्यक्ति विषय विशेषज्ञ होना चाहिएं। ऐसे महाविद्यालय, जिन्हें अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के रूप में अधिसूचित / घोषित कर दिया गया है, उस स्थिति में महाविद्यालय के अध्यक्ष की ओर से दो नामित व्यक्ति—पांच व्यक्तियों की नामसूची में से होंगे जो कि अधिमान्य तौर से अल्पसंख्यक समुदायों से हों—जिन्हें राज्य सरकार द्वारा, विशेषज्ञों के उस पैनल में से अनुशंसित किया गया हो, जिस पैनल को महाविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय ने प्रस्तावित किया हो तथा जिनमें से एक व्यक्ति विषय विशेषज्ञ हो।
- महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा ऐसे दो विषय--विशेषज्ञों को नामित किया जाना चाहिए, जो उस मुंहाविद्यालय से जुड़े हुए नहीं हों--और जिन व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा, विषय--विशेषज्ञों के पांच नामों के उस पैनल भें से अनुशंसित किया गया हो, जिस सूची को राज्य द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
- ऐसे महाविद्यालय, जिन्हें अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के रूप में अधिसूचित / घोषित कर दिया गया है—उस स्थिति में उस संबंधित महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा दो ऐसे विषय विशेषज्ञों को नामित किया जाना चाहिए, जिनका राज्य से संबंध न हो, और जिनको, उन पांच व्यक्तियों की सूची में से नामित किया गया हो, जो अधिमानतः अल्पसंख्यक समुदाय से हों—और उस सूची की अनुशंसा राज्य सरकार द्वारा विषय विशेषज्ञों की उस सूची में से की गई हो—जिसे कि महाविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्यसंख्यक/महिलाएं/ पृथक रूप से शारीरिक विकलांग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व एक अकादमीशियन द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसी रिथति में जबकि उन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्याशियों में ही कोई एक व्यक्ति ही आवेदक हो; तथा उस अकादमीशियन को

राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाना चाहिए-उस स्थिति में, यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी इन श्रेणियों से संबद्ध नहीं है।

चयन समिति की बैठक का कोरम न्यूनतभ पाँच सदस्यों का होगा–जिसमें तीन विषय–विशेषज्ञों में से कम से कम दो उपस्थित होंगे।

सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त / सरकारी स्वायत्त महाविद्यालयों में समस्त अध्यापन स्तर याले पदों के लिए राज्य लोक सेवा आयोगों / शिक्षक भर्ती बोर्डी द्वारा अनिवार्य तौर रो तीन विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित करना चाहिए—जिसके लिए संबंधित राज्य सरकार को भी नियोक्ता प्राधिकरण द्वारा चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

5.2 निजी महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों में विभागाध्यक्ष / कार्यशाला अधीक्षक :

निजी महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों में विभागाध्यक्ष / कार्यशाला अधीक्षक के पद के लिए चयन समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा :

- इस चयन समिति का अध्यक्ष, महाविद्यालय के शासी निकाय का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति, जो उनके सदस्यों में से होगा वही वयन समिति का अध्यक्ष होगा।
- 2 महाविद्यालय का प्रिंसिपल / निदेशक।
- 3 राज्य महाविद्यालय में सम्बद्ध विषय का विभागाध्यक्ष।
- 4 राज्य सरकार की और से नामित दो राज्य सरकार के प्रतिनिधि होंगे, जिनमें से एक गहाविद्यालय का प्रिंसिपल अथवा महाविद्यालय में उसके समकक्ष पद वाला व्यक्ति होना चाहिए तथा दूसरा व्यक्ति विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। ऐसे महाविद्यालय, जिन्हें अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के रूप में अधिसूचित / घोषित कर दिया गया है, उस स्थिति में महाविद्यालय के अध्यक्ष की ओर से दो नामित व्यक्ति पांच व्यक्तियों की नामसूची में से होंगे जो कि अधिमान्य तौर से अल्पसंख्यक समुदायों से हों- जिन्हें राज्य सरकार द्वारा, विशेषज्ञों के उस पैनल में से अनुशंसित किया गया हो, जिस पैनल को महाविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय ने प्रस्तावित किया हो—तथा जिनमें से एक व्यक्ति विषय विशेषज्ञ हो।
- महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा ऐसे दो विषय--विशेषज्ञों को नामित किया जाना चाहिए. जो उस महाविद्यालय से जुड़े हुए नहीं हों और जिन व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा, विषय विशेषज्ञों के पांच नामों के उस पैनल में से अनुमोदित किया गया हो, जिस सूची को संबंधित राज्य के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया हो। ऐसे महाविद्यालय, जिन्हें अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के रूप में अधिसूचित/घोषित कर दिया गया है उस स्थिति में उस संबंधित महाविद्यालय के शारी निकाय के अध्यक्ष द्वारा दो ऐसे विषय विशेषज्ञों को

नामित किया जाना चाहिए, जिनका राज्य से संबंध न हो और जिनको, उन पांच व्यक्तियों की सूची में से नामित किया गया हो, जो अधिमानतः अल्पसंख्यक समुदाय से हों—और उस सूची की अनुशंसा राज्य द्वारा विषय विशेषज्ञों की उस सूची में से की गई हो—जिसे कि महाविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

6 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / महिलाएं / पृथक रूप से शारीरिक विकलांग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व एक अकादमीशियन द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में जबिक उन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्याशियों में ही कोई एक व्यक्ति ही आवेदक हो; तथा उस अकादमीशियन को राज्य द्वारा नामित किया जाना चाहिए—उस स्थिति में, यदि चथन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी इन श्रेणियों से संबद्ध नहीं है।

चयन समिति की बैठक का कोरम न्यूनतम पाँच सदस्यों का होगा–जिसमें तीन विषय–विशेषज्ञों में से कम से कम दो उपस्थित होंगे।

सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त / सरकारी स्वायत्त महाविद्यालयों में समस्त अध्यापन स्तर बाले पदों के लिए राज्य लोक सेवा आयोगों / शिक्षक भर्ती बोर्डों द्वारा अनिवार्य तौर से तीन विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित करना चाहिए—जिसके लिए संबंधित राज्य को भी चयन प्रक्रिया में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित किया जाना चाहिए।

5.3 महाविद्यालयों में प्रिंसिपल / निदेशक :

महाविद्यालयों में प्रिंसिपल / निदेशक के पद के लिए चयन समिति का गठन निभ्न प्रकार से होगाः

- 1 महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष ही इस चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।
- महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा नामित शासी निकाय के दो सदस्य जिनमें से एक अकादमिक प्रशासन में विशेषज्ञ हो।
- उ राज्य सरकार द्वारा नामित एक सदस्य जोकि उच्च शिक्षा विशेषज्ञ हो।
- 4 राज्य सरकार द्वारा जिन छह सदस्यों के नामों के पैनल को अनुमोदित किया गया हो-जनभें से तीन विशेषज्ञों को महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा नामित किया जाएगा, जिनमें महाविद्यालय के प्रिंसिपल / निदेशक होंगे।
- इ. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/ महिलाएं/पृथक रूप से शारीरिक विकलांग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व एक अकादमीशियन द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में जबिक उन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्याशियों में ही कोई एक व्यक्ति ही आवेदक हो; तथा उस अकादमीशियन को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाना चाहिए—उस स्थिति में, यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी इन श्रेणियों से संबद्ध नहीं है।

बैठक के लिए समिति का कोरम न्यूनतम पाँच सदस्यों का होगा जिनमें से तीन विषय विशेषज्ञों में से कम से कम दो उपस्थित होंगे;

चयन समिति की समस्त कार्यवाहियां उनकी बैठक के दिन ही पूरी हो जाएंगी-जिसमें बैठक का कार्यवृत्त दर्ज किया जाएगा, जिसमें स्कोरिंग प्रपन्न सहित, मेरिट के आधार पर जो भी अनुशंसा की गई हो-चयनित की सूची तथा प्रतीक्षा सूची वाले प्रत्याशी/मेरिट के आधार पर नामों की सूची, ये सभी दस्तावेज वयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।

महाविद्यालय के प्रिंसिपल / निवेशक की नियुक्ति की अवधि (कार्यकाल) पांच वर्षों की होगी, जिसकी पुनर्नियुक्ति पात्रता पूरी होने पर इसी तरह वयन समिति की प्रक्रिया के बाद एक और अवधि के लिए की जा सकती है।

6. सीधी भर्ती तथा कैरियर उन्नति योजना (सी.ए.एस.) के अंतर्गत पदोन्नति के लिए पिछली सेवाओं को सम्मिलित करना :

- 6.1 महाविद्यालय, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं अथवा अन्य वैज्ञानिक / व्यावसायिक संगठनों जैसे कि, सी.एरा.आई.आर., आई.सी.ए.आर., डी.आर.डी.ओ., यू.जी.सी., आई.सी.एस.एस.आर., आई.सी. एच.आर., आई.सी.एम.आर. डी.बी.टी. इत्यादि में लेक्चरर, विभागध्यक्ष, कार्यशाला अधीक्षक के रूप में अथवा इनके रामकक्ष की गई पिछली नियमित सेवाओं, चाहे वे सब्ट्रीय हों अथवा अंतर्राष्ट्रीय, को सीधी भर्ती हेतु तथा कैरियर उन्नित योजना (सी.ए.एस.) के अंतर्गत लेक्चरर (वरिष्ठ वेतनमान) लेक्चरर (चयन ग्रेड) अथवा परिशिष्ट—1 तालिका संख्या—॥ में दिए गए अन्य किसी नाम वाले पदों हेतु पदोन्नित के लिए गिना जाना चाहिए, बशर्त कि:
 - (क) धारण किए गए पद हेतु अर्हता, लेक्चरर, विभागाध्यक्ष, कार्यशाला अधीक्षक जैसा भी मामला हो, के पद हेतु अभातशिप द्वारा निर्धारित की गई अर्हताओं की तुलना में न्यून (कम) नहीं होनी चाहिए।
 - (ख) पद रामकक्ष ग्रेड में हो / रहा हो अथवा वेतनमान लेक्चरर, विभागाध्यक्ष, कार्यशाला अधीक्षक के पदों के पूर्व संशोधित वेतनमान रतर के हो।
 - (ग) अभ्यर्थी ने सीधी भर्ती के लिए उचित माध्यम रो आवेदन किया हो।
 - (घ) संबंधित लेक्चरर, विभागाध्यक्ष, कार्यशाला अधीक्षक की न्यूनतम अर्हता, लेक्चरर, विभागाध्यक्ष, कार्यशाला अधीक्षक, जैसा भी मामला हो, के पद पर नियुक्ति के लिए अभातशिप द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम योग्यता के समान होनी बाहिए।
 - (ड़) पदों को, इन नियुक्तियों हेतु राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/संबंधित संस्थाओं के विनियमों में निर्धारित की गई चयन प्रक्रिया के अनुसार भरा गया हो।

4265 972-3

- (च) पिछली नियुक्ति किसी भी समयावधि में, अतिथि लेक्चरर अथवा तदर्थ अथवा छुट्टी रिक्ती में, एक वर्ष से कम अवधि के लिए न की गई हो। एक वर्ष से अधिक समयावधि के लिए तदर्थ अथवा अस्थाई सेवाओं को इसके लिए गिना जा सकता है, बशर्ते कि :
 - (i) सेवा की समयावधि एक वर्ष से अधिक की हो ;
 - पदधारी की नियुक्ति विधिवत् तौर पर गठित समिति की अनुशंसा से की गई हो .
 - (iii) पदधारी का चयन तदर्थ अथवा अस्थाई सेवा से निरंतरता में स्थाई पद पर कर लिया गया हो ; तथा
 - (iv) स्थाई आधार पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा में कृत्रिम अंतराल का प्रयोग कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए नहीं किया जाएगा। स्थाई आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को उसके द्वारा प्रदान की गई संपूर्ण सेवाओं का लाम कृत्रिम अंतराल/सेवा में अंतराल होते हुए भी उसकी प्रथम नियुक्ति (अस्थाई/संविदा/तदर्थ) की तिथि से दिया जाना चाहिए।
- (छ) इस खण्ड के अंतर्गत पिछली सेवाओं को गिनने (शामिल) करने पर विचार करते समय उस संस्था (निजी / स्थानीय निकाय / सरकारी) जहां पिछली सेवाएं पूरी की गई हैं, के प्रबंधन प्रकार संबंधी कोई भेद (अंतर) नहीं किया जाएगा।

डॉ. के. पी. आईजैंक, मदस्य-सचिव [विज्ञापन 111/4/162/12/असा.]

परिशिष्ट-[

तालिका-1

महाविद्यालय (कॉलेज) के शिक्षकों की भर्तियों तथा कैरियर उन्नति योजना (सी.ए.एस.) पदोन्नतियों में अकादिमक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई) हेतु प्रस्तावित स्कोर

श्रेणी I : शिक्षण, अधिगम (लर्निंग) एवं मूल्याँकन संबंधी कार्यकलाप

संक्षिप्त ब्यौराः शिक्षकों के स्व- मूल्यांकन पर आधारित अकादिमक निष्पादन सूचकाँक स्कोर (क) शिक्षण संबंधी कार्यकलापों; (ख) कार्यक्षेत्र ज्ञान; (ग) परीक्षा तथा मूल्यांकन में सहभागिता; (घ) नवोन्मेषी शिक्षण, नवीन पाठ्यक्रमों आदि में योगदान हेतु प्रस्तावित हैं। इस श्रेणी के शिक्षकों द्वारा अपेक्षित न्यूनतम अकादिमक निष्पादन सूचकांक स्कोर 75 है। जहाँ तक संभव हो, स्व-मूल्यांकन स्कोर उद्देश्यपरक प्रमाणनीय मानदण्ड पर आधारित होना चाहिए तथा यह स्क्रीनिंग/चयन समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

क्रम सं0	कार्यकलाप की प्रकृति	अधिकतम अंक (स्कोर)
- <u>-</u> -	व्याख्यानों (लेक्चर्स), संगोष्ठियों, अनुशिक्षण कक्षाओं, प्रेक्टिकल्स, निर्धारित संपर्क घंटों, आबंटित व्याख्यानों (लेक्चरों) के प्रतिशत रूप में *	50

2.	अभातशिप मानकों के अतिरिक्त व्याख्यान (लेक्चर्स) अथवा अन्य शिक्षण	10
L	कार्य	:
3.	पाठ्यचर्या के अनुसार जानकारी/अनुदेशन देना अथवा तैयारी: विद्यार्थियों	20
<u> </u>	को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराते हुए पाठ्यक्रम संवृद्धि।	
4.	सहभागिता एवं नवोन्मेषी शिक्षण—अधिगम पद्धति का उपयोग, विषयवस्तु	20 -
	को अद्युतन करना, पाठ्यक्रम सुधार आदि	i
5.	परीक्षा इयूटी (निरीक्षण, प्रश्न–पत्र तैयार करना, मूल्यांकन/उत्तर	25
	पुरितकाओं का मूल्यांकन/आंकलन) आबंटन अनुसार	i
	कुल स्कोर	125
	न्यूनतम अपेक्षित ए.पी.आई. स्कोर	75

विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यकलापों का ब्यौरा दें तथा जहाँ संस्थागत विनिर्देशनों की अपेक्षा की जाती है, वहाँ इस श्रेणी के तहत अपेक्षित कुल न्यूनतम अकादिमक निष्पादन सूचकांक स्कोर में परिवर्तन किए बगैर वेटेज को समायोजित करें।

नोट : * शिक्षकों के विशेष वर्ग हेतु अभातिशय मानकों के अनुसार आबंटित व्याख्यानों (लेक्चरों) तथा अनुशिक्षण कक्षाओं को शामिल करना। राज्य सरकार उपर्युक्त 1 हेतु, 80 प्रतिशत न्यूनतम कट ऑफ (निबलदेय अवकाश) निर्धारित कर सकती है, इन उप वर्गों में इसरों कम कोई स्कोर नियत नहीं है।

श्रेणी II : सह-पाठयेत्तर, विस्तार तथा व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप

संक्षिप्त ब्यौराः शिक्षक के स्व-मूल्यांकन के आधार पर, सह-पाठयेत्तर, विस्तार कार्यकलापों; तथा व्यावसायिक विकास संबंधी योगदानों के लिए श्रेणी-11 के अकादिमक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) अंक प्रस्तावित हैं। पदोन्तित के लिए शिक्षक द्वारा अनिवार्य न्यूनतम अर्हता ए.पी.आई. अंक 15 हैं। मदों की सूची तथा प्रस्तावित अंक नीचे दिए गए हैं। यह नोट किया जा सकता है कि सभी शिक्षक अनेक मदों से अंक अर्जित कर राकते हैं, जबिक कुछ कार्यकलाप केवल एक शिक्षक या कुछ शिक्षकों द्वारा किए जारोंगे। इस श्रेणी में न्यूनतम अपेक्षित 15 ए.पी.आई. अंकों हेतु कार्यकलापों की सूची व्यापक है, जो सभी शिक्षकों के खाते में जमा होंगे। पूर्व की भाँति, स्व-मूल्यांकन अंक निष्पक्षता द्वारा निरीक्षित किए जाने वाले मानदंड पर आधारित होने चाहिए तथा इसे स्क्रीनिंग / चयन सिमित द्वारा अंतिम रूप दिया जायेगा।

नीचे दी गई मानक तालिका ए.पी.आई. अंकों तथा कार्यकलापों के समूहों को दर्शाती है। विश्वविद्यालय क्रियाकलापों का विस्तृत ब्यौरा दे सकता है अथवा यदि संस्थागत विशिष्ट अपेक्षित हो, तो उनके वेटेज का, इस श्रेणी के तहत अपेक्षित न्यूनतम कुल ए.पी.आई. अंकों को बिना बदले समायोजित करें।

क्रम सं0	कार्यकलाप की प्रकृति	अधिकतम अंक (स्कोर)
1.	विद्यार्थी संबंधी सह-पाठयेत्तर, विस्तार तथा क्षेत्र आधारित कार्यकलाप (जैसे एन.एस.एस./एन.सी.सी. तथा अन्य चैनलों, सांस्कृतिक कार्यकलापों विषय संबंधी घटनाक्रम, विज्ञापन तथा परामर्श के माध्यम से विस्तार कार्य)।	20

2.	विभाग और संस्थान की अकादमिक तथा प्रशासनिक समितियाँ और उत्तरदायित्वों के माध्यम से प्रबंधन तथा कारपोरेट जीवन में योगदान।	15
3.	व्यावसायिक विकास कार्यकलाप (जैसे सम्मेलनों, संगोष्टियों, अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, चर्चाओं, व्याख्यानों में भागीदारी, संघों की सदस्यता तथा प्रसार तथा सामान्य मदें, जिन्हें नीचे श्रेणी III में सम्मिलित नहीं किया गया है)।	15
·	कुल अंक (स्कोर)	50
	न्यूनतम अपेक्षित ए.पी.आई. अंक (स्कोर)	15

श्रेणी ।।। : अनुसंधान (शोध) तथा अकादिमक योगदान

संक्षिप्त ब्यौराः शिक्षक के स्व-मूल्यांकन के आधार पर, अनुसंधान तथा अकादिमक योगदानों के लिए अकादिमक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) अंक प्रस्तावित हैं। इस श्रेणी के लिए अपेक्षित न्यूनतम् अकादिमक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) अंक कॉलेजों में पदोन्नतियों के विभिन्न स्तरों के लिए अलग अलग हैं। स्व--मूल्यांकन अंक सत्यापन किए जाने योग्य मानदंड पर आधारित हैं तथा इन्हें स्क्रीनिंग/धयन समितियों द्वारा अंतिम रूप दिया जायेगा।

क्रम सं0	अकादिमक निष्पादन सूचकांक (ए.पी. आई)	इंजीनियरिंग	भाषा / मानविकी / सामाजिक विज्ञान / प्रबंधन संकाय	कॉलेज शिक्षक के पद के लिए अधिकतम अंक
ा। (क)	इनमें प्रकाशित अनुसंधान पत्र	संदर्भित जर्नल्स* गैर-संदर्भित परंतु- मान्य एवं जाने-माने जर्नल्स तथा पिरीयोडिकल, जिनके आई.एस.बी.एन. / आई.एस. एस.एन. नंबर हों।	एवं जाने–माने जर्नल्स तथा पिरीयोडिकल, जिनके आई.एस.बी.एन.	15 / प्रकाशन 10 / प्रकाशन
	! 	पूर्ण कागजातों आदि के रूप में संगोधी / सम्मेलन की कार्यवाहियाँ (सार सम्मिलित न किया जाए)	रूप में संगोष्डी/ सम्मेलन की कार्यवाहियाँ	10 / प्रकाशन राष्ट्रीय 5 / प्रकाशन
ा। (ख)	जर्नल लेखों के अतिरिक्त पुस्तकें,	पाठ्य या संदर्भ पुस्तकें, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा जानी—मानी 'पीयर रिव्यू प्रणाली' द्वारा प्रकाशित किया गया हो।	जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा जानी–मानी 'पीयर रिव्यू	लेखक द्वारा 50 / : संपादित पुस्तक में

	13
तथा राष्ट्रीय /राज्य रतर प्रकाशनों तथा लेखक के प्रकाशकों द्वारा राष्ट्रीय/राज्य स्तर के 25/, प्रकाशित विषयगत पुस्तकें, प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित संपादित जिनकी आई.एस.बी.एन. विषयगत पुस्तकें, पुस्तक /आई.एस.एस.एन. संख्या जिनकी आई.एस.बी.एन. 5/अध्याय हों। /आई.एस.एस.एन.	<u></u> मात्र ! द्वारा तथा में
एस.एन. संख्या वाली अन्य एस.एस.एन. संख्या वाली लेखक ह स्थानीय प्रकाशकों द्वारा अन्य स्थानीय प्रकाशकों 15 / ; र प्रकाशित विषयगत द्वारा प्रकाशित विषयगत संपादित पुस्तकें। पुस्तकें। पुस्तक	मात्र इ.स. तथा में .
ज्ञान आधारित खंडों में ज्ञान आधारित खंडों में १०/अध्यायं का संपादन योगदान (अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित)। प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित)। ज्ञान आधारित खंडों में भारतीय/राष्ट्रीय स्तर अध्यायों का रापादन के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित ज्ञान आधारित प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित ज्ञारा और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशित ज्ञार्यरक्टरी के नवरों ज्ञान आधारित खंडों में सहित आई.एस.वि.एन/अध्याय (जिनके राष्ट्रीय अर्थरक्टरी के नवरों सहित आई.एस.एस.एन. नवर हों)।	- 1
 आनुसंघान परियोजनाएं प्रायोजित 30.0 लाख रूपये से 5.0 लाख रूपये से ऊपर 20 / प्रति परियोजनाएं ऊपर के अनुदान से के अनुदान से चलाई परियोजना (समाप्त / चल रही चलाई जाने वाली बड़ी परियोजनाएं) बड़ी परियोजनाएं। परियोजनाएं। 	j
5.0 लाख रूपये से न्यूनतम 3.00 लाख से 15 / प्रति 30.00 लाख रूपए 5.00 लाख रूपए तक के परियोजना तक के अनुदान से अनुदान से चलाई जाने बलाई जाने वाली वाली बड़ी परियोजनाएं। बड़ी परियोजनाएं। लधु परियोजनाएं लघु परियोजनाएं (25,000 10 / प्रति (50,000 रूपये से रूपये से 3 लाख रूपए परियोजना	

				12.557.217. 517. 41
		5 लाख रूपए तक	तक के अनुदान से चलाई	
i		के अनुदान से चलाई	जाने वाली लघ्	!
		ंजाने वाली लघु	परियोजनाएं)	İ
		परियोजनाएं)	,	:
HH (ग)	, परामर्शदात्री		न्यूनतम 1.00 लाख रूपए	10 / धीते । सारव
(ii)	परियोजनाएं	रुताए की धनगणि	की धनराशि वाली	ं स्तार्थ का स्वार्थ
(13) 	(समाप्त / चल रही	वाली परियोजनाएँ	परियोजनाएं परियोजनाएं	! लाख पर तथा । लाख रूपये पर
į	परियोजनाएं)	aren arearen it	1104001110	लाख रायव पर
	1 41(410) 11()			
HI (ग)	पूर्ण की गई	पूर्ण की गई	पूर्ण की गई परियोजना	20 / प्रति बड़ी
(iii)	ं परियोजनाएं:		की रिपोर्ट (वित्तपोषण	परियोक्तना
	(गुणवत्ता	(वित्तर्धोषण करने	करने वाली एजेंसी द्वारा	1
•	मूल्यांकन)	वाली एजेंसी द्वारा	स्रीकार्यवा)	¦ୀ⊍∕ନାପ ୯ାଧୁ
	8, 3, 4,	स्वीकार्यता)	(4/4/14(II)	परियोजना
m (ग)	परियोजनाएं			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(iv)	निष्कर्ष / परिणाम	जन्म के राज्य	केन्द्र तथा राज्य स्तर के	30 / Ald Alecta
(14)	। निष्याच / पारणान	स्तर क सरकारा	सरकारी निकायों के बृहद्	
		निकायों के बृहद	नगतगत दस्तावज	्षेटेंट
	j I	नीतिगत दस्तावेज	**	50 ∕ प्रति
			पेटेंट / प्रौद्योगिकी	अंतर्राष्ट्रीय स्तर के
		पेटेंट / प्रौद्योगिकी 📑	हस्तांतरण / उत्पाद /	िलिए
		हस्तांतरण / उत्पाद	प्रक्रिया	·
		∕ प्रक्रिया 🚽		
मा (घ)	अनुसंघान मार्गदर्शन			
HI.(घ).	एम.फिल. / एम.ई.	केवल डिग्री प्रदान	केवल डिग्री प्रदान की	3 / t/A
(i)	∕ एम.टेक		गई	अभ्यर्थी
	<u> </u>		`	
।।।.(घ).	पीएच.डी.	कियल डिग्री प्रदान्	केवल डिग्री प्रदान की	10 / प्रति
(ii)	 -	की गई 🕌	गई	अभ्यर्थी
· ·		शोध प्रवंध जमाः		<i></i>
		राध्य प्रवध जनाः कियागयः।	शोध प्रबंध जमा किया	
		। प्राथा	गया	अभ्यर्थी
ाा <u>(इ)</u>	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम त	था सम्मेलन / संगोधी /	'कार्यशाला पत्र	·i
	<u>_</u>	·		;
III.(इ).	पुनश्चर्या	(क) दो सप्ताहों से क	म (क) दो सप्ताहीं से	कम 20 / प्रति
(i)	पाठ्यक्रम, पद्धति	की अवधि न हो।	की अवधि न हो।	
	कार्यशाला.	(ख) एक सप्ताह व	ी (ख) एक सप्ताह की अव	ाधि 10 / प्रति
	प्रशिक्षण,	अवधि		
	शिक्षण–अधिगम–मू			;
	ल्यांकन प्रौद्योगिकी			
	कार्यक्रम, साफ्ट			:
	दक्षता विकास			
	कार्यक्रम, संकाथ			!
	विकास कार्यक्रम्			
	जिनमें भाग लिया	•		i
	(अधिकतम 30 अंक		ļ	
	[जावकरान 30 आक (प्वाइंट)}		:	
<u> : </u>	[[नाइट]]			

prosentate constituti

III.(ड़).	राम्मेलनों/	_	निमालिखित	===::\- में	निम्नलिखित में अनुसंधान	
(ii)	संगोष्टियों /		अनुसंधान	पत्रों	पत्रों (मौखिक / पोस्टर) की	
	कार्यशालाओं	आदि	(भौखिक/पोस्टर	!) কী	भागीदारी तथा	
			भागीदारी	तथा	प्रस्तुतिकरण :	
<u></u>	में पत्र**।		। प्रस्तुतिकरण :			:
			(ক) ওব	र्राष्ट्रीय	(क) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	15 ∕ प्रति
ļ	· -		सम्मेलन			j
			(ख) राष्ट्रीय		(ख) राष्ट्रीय	
		-	(ग) क्षेत्रीय / राज्य	यं स्तर	(ग) क्षेत्रीय/राज्य स्तर	; 5 ∕ प्रति
				स्थानीय		3 ∕ प्रति ं
ı				गॅलेज	विश्वविद्यालय / कॉलेज	
			स्तर		रतर]
ा।.(ड़).	सम्मेलनों /		(क) अंतर्राष्ट्रीय		(क) अंतर्राष्ट्रीय	10 / प्रति ¹
(iii)	परिसंवा दों	हेतु				
ļ	व्याख्यान	या		ļ		
	प्रस्तुतिकरण	ı				
	, आमं <u>त्रित</u>			_ i		
·	! <u>-</u>]	(ख) राष्ट्रीय स्तर		(ख) राष्ट्रीय स्तर	5 ∕ प्रति

^{*}जहीं कहीं भी विशिष्ट विधा के लिए संगत हो, संदर्भित जर्नलों में पत्रों हेतु ए.पी.आई. अंकों को निम्नानुसार बढ़ाया जायेगा (i) इन्डेक्सड जर्नल्स - 5 अंकों से; (ii) 1 तथा 2 के बीच "इम्पेक्ट फैक्टर" वाले पत्रों के लिए - 10 अंकों से; (iii) 2 से 5 के बीच "इम्पेक्ट फैक्टर" वाले पत्रों के लिए - 15 अंकों से, (iv) 5 से 10 के बीच "इम्पेक्ट फैक्टर" वाले पत्रों के लिए - 25 अंकों से।

नोट:

- 1. इन विनियमों में प्रस्तावित है कि समन्तय सिगिति तथा विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक होगा कि वह छः माह के भीतर श्रेणी-III के तथा ख के तहत जर्नल्स, पिरीयाडिकल्स तथा प्रकाशकों की विषय-वार सूची तैयार करे तथा उसे प्रकाशित करे। उस सगय तक, स्क्रीनिंग/ वयन सिमितियां प्रकाशनों के श्रेणीकरण तथा अंकों का मूल्यांकन तथा सत्यापन करेंगी।
- 2. संयुक्त प्रकाशनों हेतु ए.पी.आई. का निम्नलिखित पद्धति से परिकलन करना होगाः संबंधित शिक्षक द्वारा संगत श्रेणी के प्रकाशन के कुल अंकों से प्रथम/मूल लेखक तथा उसके समकक्ष शिक्षक के लेखक/पर्यवेक्षक/मैन्टर कुल अंकों को समान रूप से बाँट लेंगे, यदि लेखकों की संख्या अधिक हो, तो पहले दो लेखकों को कुल अंकों के 60 प्रतिशत के बराबर अंक मिलेंगे तथा श्रेष 40 प्रतिशत अंक सभी अन्य लेखकों द्वारा बराबर बांटे जायेंगे।

^{**}यदि किसी पत्र को किसी सम्मेलन/संगोष्ठी में रखा गया हो तथा कार्यवाही के रूप में प्रकाशित किया गया हो, तो अंक प्रकाशन के लिए ही जमा होंगे [III (क)], न की प्रस्तुतिकरण के लिए जमा होंगे [III (ड) (ii)]

तालिका-॥ (क)

महाविद्यालय में कैरियर उन्नति योजना (सी.ए.एस.) के अंतर्गत शिक्षकों की पदोन्नति के लिए. परिशिष्ट--। तालिका--। में दिये गये अनुसार, लागू किए जाने वाले न्यूनतम अकादमिक निष्पादन सूचकांक, (ए.पी.आई) तथा विशेषज्ञ मूल्यांकन हेतु वेटेज अंक।

हम्म सं0 (स्टेज 1 ए.जी. पी. 5400 से स्टेज 2 ए.जी.पी. 7000) पी. 6000 से स्टेज 3 ए.जी. पी. 7000 से स्टेज 2 ए.जी. पी. 7000) पी. 6000 पी. 6000 से स्टेज 3 ए.जी. पी. 7000 से स्टेज 4 ए.जी. पी. 8000) पी.	ı	1	. त्रीतन्त्रज्ञ	l descrip ion			
पी. 5400 से स्टेज 3 पी. 7000 से संटेज 5 पी.वी. 6000 से स्टेज 4 ए.जी. वी. क000 से स्टेज 5 पी. क000) I शिक्षण—अधिगम, त्राम्ण संबंधी कार्यकलाप (श्रेणी—I) II सह—पाट्येतर तथा व्यवसाय राबंधी कार्यकलाप (श्रेणी—II) III श्रेणी—II के तहत -पूनतम कुल औसत वार्षिक अंक* IV अनुसंशान और 100/वर्ष 100/वर्ष 30/वर्ष 40/वर्ष 100/वर्ष						•	
स्टेज 2 ए.जी. पी. 8000) स्टेज 4 ए.जी. से स्टेज 5, पी.बी.4, एजी. पी. 8000) पी. 8000] पी. 800] पी. 8000] पी. 800] पी. 8000] पी. 8000] पी. 8000] पी. 8000] पी. 8000]	स0				(स्टेज 3 ए.जी.		
पी. 6000) पी. 8000)			I .				
शिक्षण – अधिगम 75 / वर्ष		•		ए.जी.पी. 7000)			į
विक्षण-अधिगम, त्रांची त्रांची त्रांची कार्यकलाप (श्रेणी-I) प्रांची विस्तार तथा व्यवसाय रावंधी कार्यकलाप (श्रेणी-II) प्रांची विस्तार तथा व्यवसाय रावंधी कार्यकलाप (श्रेणी-II) प्रांची कार्यकलाप (श्रेणी-II) प्रांची कार्यकलाप (श्रेणी-II) प्रांची कार्यकलाप (श्रेणी-II के तहत न्यूनतम कुल औसत वार्षिक अंक* प्रांची विश्वसान और 10/पूर्व 20/वर्ष 30/वर्ष 40/वर्ष अकादमिक (40/मूल्यंकन (100/मूल्यंकन (90/ (120/मूल्यंकन (श्रेणी-III)) प्रांची अविधे अविधे अविधे अविधे अविधे अविधे		1	पी. 6000)	!	ंपी. 8000)	पी.बी.4, ए.जी.	
मूल्यांकन संबंधी कार्यकलाप (श्रेणी—I)			 				
कार्यकलाप (श्रेणी—I)	1		75 / वर्ष	7 5 / वर्ष	7 5 / वर्ष	75 / वर्ष	
(श्रेणी—I)						·	
सह-पाठ्येतर 15/वर्ष 15/वर्ष 15/वर्ष 15/वर्ष 15/वर्ष विस्तार तथा व्यवसाय संबंधी कार्यकलाप (श्रेणी- II)		1			İ	i	
विस्तार तथा व्यवसाय रावधी कार्यकलाप (श्रेणी—II) III श्रेणी—I और 100/वर्ष 100/वर्ष 100/वर्ष 100/वर्ष श्रेणी—II के तहत -यूनतम कुल औसत वार्षिक अंक* IV अनुसंधान और 10/वर्ष 20/वर्ष 30/वर्ष 40/वर्ष अकादमिक (40/मृत्यंकन (100/भूल्याकन (90/ (120/ योगदान अवधि) अवधि) अवधि) अवधि)			 - , - <u></u> -	,	ļ <u>.</u>		
व्यवसाय राबंधी कार्यकलाप (श्रेणी—II)	11		15 / এশ	! 15 / वर्ष !	15 / বর্ষ	15 / दर्ष	
कार्यकलाप (श्रेणी—II) III श्रेणी—I और 100/वर्ष 100/वर्ष 100/वर्ष 100/वर्ष श्रेणी—II के तहत -यूनतम कुल औसत वार्षिक अंक* IV अनुसंधान और 10/वर्ष 20/वर्ष 30/वर्ष 40/वर्ष अकादमिक (40/मूल्यांकन (100/भूल्यांकन (90/ (120/ योगदान अविध) अविध) मूल्यांकन भूल्यांकन (श्रेणी—III)	'						:
(श्रेणी—II) III श्रेणी—I और 100/वर्ष 100/वर्ष 100/वर्ष 100/वर्ष 100/वर्ष 100/वर्ष 100/वर्ष 100/वर्ष 100/वर्ष 100/वर्ष 100/वर्ष श्रेणी—III के तहत -यूनतम कुल असत वार्षिक अक्रांसत वार्षिक अक्रांसत वार्षिक -अक्रांस्तिक (40/मूल्यंकन (100/भूल्यांकन (90/ (120/योगदान अविध) अविध) मूल्यांकन मूल्यांकन (श्रेणी—III)						!	i
श्रेणी और 100 / वर्ष 100 / वर्ष 100 / वर्ष 100 / वर्ष श्रेणी II के तहत -यूनतम कुल अौसत वार्षिक अंक*							ļ
श्रेणी II के तहत न्यूनतम कुल औसत वार्षिक अंक* IV अनुसंधान और 10/एषं 20/वर्ष 30/वर्ष 40/वर्ष अकादमिक (40/मूल्यंकन (100/भूल्याकन (90/ (120/ योगदान अयि) अविधे) मूल्यांकन पूल्यांकन (श्रेणी III)		· ·		·		 	
-यूनतम कुल औसत वार्षिक अंक* IV अनुसंधान और 10/पर्ष 20/वर्ष 30/वर्ष 40/वर्ष अकादमिक (40/मूल्यंकन (100/भूल्याकुन (90/ (120/ योगदान अयि) अविध) मूल्यांकन पूल्यांकन (श्रेणी– III)	Ш		100 / वर्ष	100 / वर्ष	: 100 / वर्ष	100 / वर्ष	
असित वार्षिक अंक* 10/एषं 20/वर्ष 30/वर्ष 40/वर्ष 30/वर्ष 40/वर्ष 30/वर्ष 40/वर्ष 30/वर्ष 40/वर्ष 30/वर्ष 40/वर्ष		श्रेणी− Ⅱ के तहत				l i	:
अंक* IV अनुसंधान और 10/पर्ष 20/वर्ष 30/वर्ष 40/वर्ष अकादमिक (40/मूल्यंकन (100/भूल्यक्रन (90/ (120/ योगदान अविध) अविध) मूल्यंकन पूल्यांकन (श्रेणी— III)						i	
IV अनुसंधान और 10/वर्ष 20/वर्ष 30/वर्ष 40/वर्ष अकादमिक (40/मूल्यंकन (100/भूल्याकन (90/ (120/ योगदान अविध) अविध) मूल्यांकन पूल्यांकन (श्रेणी– III) अविध) अविध) अविधे		औसत वार्षिक			!		
अकादमिक (40 / मूल्यांकन (100 / भूल्यांकन (90 / (120 / योगदान अवधि) अवधि) मूल्यांकन भूल्यांकन (श्रेणी - 111) अवधि) अवधि) अवधि)			i			:	·
अकादमिक (40 / मूल्यांकन (100 / भूल्यांकन (90 / (120 / योगदान अवधि) अवधि) मूल्यांकन भूल्यांकन (श्रेणी - 111) अवधि) अवधि) अवधि)	JV	अनुसंधान और	10 / হাৰ্ষ		30 / वर्ष	40 / arg	
यागदान : अयोध) अविधि) मूल्यांकन मूल्यांकन (श्रेणी— III) अविधि) अविधि) अविधि) :		- अकादमिक	(४० / मूल्यांकन	(100 / শুল্যোক্রন			
<u>(श्रेणी– III)</u> अवधि) अवधि) :			अवधि)	अवधि)			
				-		अंदधि)	
V विशेषज्ञ मूल्यांकन रक्रीनिंग रक्रीनिंग समिति चयन समिति चयन समिति	V	विशेषज्ञ मूल्याकन		रक्रीनिंग समिति		— - ′	- ∵ i
प्रणाली समिति । । । । । । । । । । । । । । । । । ।		प्रणाली	समिति				į
विशेषज्ञ मूल्यांकन अलग से कोई अलग से कोई अनुसंधान में अनुराधान में		विशेषज्ञ मूल्यांकन	अलग से कोई	अलगं से कोई	अनुसंधान में	अनुराधान में	
भूवटज अको का अक नहीं। अक नहीं। योगदान-30 योगदान-50		म वटज अको का	अक नहीं ।	अंक नहीं।	थोगदान – 30		į
प्रतिशत विदरण स्क्रीनिंग समिति प्रतिशत। प्रतिशतः		1		स्क्रीनिंग समिति	प्रतिशत ।	प्रतिशतः	
कुल वेटेज समिति को को एपी.आई. कार्यक्षेत्र जान कार्यक्षेत्र जान		1,2	समिति को	को ए.पी.आई.	कार्यक्षेत्र ज्ञान		
अक=100) ए.पी.आई. अंको (स्कोर) का । का मल्याकन । तथा । । । । ।			ए. पी .आई.	अंको (स्कोर) का	का मत्यांकन		
। पदीन्तितं के ख़र्ए।अको (स्कार)¦ सत्यापनं करना तथा शिक्षण ग्रेक्टिस-३०		पदीन्नति के लिए	अका (स्कार)¦	सत्यापन करना	तथा शिक्षण		i
किम से केम 50 का सत्यापन है। प्रेक्टिस – 50 प्रतिशत ।		कम सै कम 50	का सत्यापन	है।			
अंक अमेक्षित हैं। करना है। प्रतिशत। साक्षात्कार		अक अपेक्षित हैं।	करना है।		प्रतिशत ।		
साक्षात्कार निष्पादन20						निष्पादन20	ı
i निष्पादन−20 प्रतिशत :		:		:	निष्पाटन=20	<u>ਦ</u> ਵਿਧਾਕਾ ।	
प्रतिशत ।		l i	I			*1015101	

तालिका II (क) तथा II (ख) के लिए व्याख्यात्मक टिप्पण

- 1. सभी विश्वविद्यालय/कॉलेज इन तालिकाओं में अकादिमिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) से संबंधित अपेक्षित सूचना के लिए सत्थापन योग्य प्रणाली, इन विनियमों के अधिसूचित होने से तीन माह के भीतर स्थापित करेंगे। इनका विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के आंतरिक गुणवत्त: मूल्यांकन प्रकोष्ठ (आई.क्यू.ए.सी.) द्वारा वार्षिक रूप से दस्तावेजीकरण, तथा परितुलन करना होगा, तािक विश्वविद्यालय/कॉलेज प्राधिकरण अनुवर्ती कार्यवाही करें। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, सभी शिक्षक वार्षिक रूप से आई.क्यू.ए.सी. को एक विधिवत रूप से भरा हुआ निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) प्रवत्न प्रस्तुत करेंगे।
- 2. तथ्मपि, पूर्ववर्ती की सूचना को एकत्रित करने में सभस्या का समाधान करने हेतु तथा कैरियर उन्नित योजना (सी.ए.एस.) पदोन्नित में 31.12.2010 से इन विनियमों को कार्यान्वित करने के लिए एपी.आई. आधारित वी.बी.ए.एस. को भविष्य में उत्तरोत्तर समाप्त कर दिया जाएगः।
- उस्तुसार, प्रारंभ में विश्वविद्यालय/कॉलेजों में मौजूदा प्रणाली के तहत तालिका II (क) तथा II (ख) में यथा दर्शाए गए औरात न्यूनतम प्राप्तांक के साथ इस तालिका में उल्लिखित श्रेणी I तथा II के एपी. आई. प्राप्तांकों के आधार पर पी.बी.ए.एस. एक वर्ष के लिए लागू की जाएगी। वार्षिक रूप से निकाले गए ए.पी.आई. प्राप्तांकों को तत्पश्चात उत्तरोत्तर जोड़न होगा, जैसे ही शिक्षक अगले संवर्ग में सी.ए.एस. के लिए योग्य हो जाता है। इस प्रकार से, किंदी कोई शिक्षक वर्ष 2011 में सी.ए.एस पदोन्नित के लिए पात्र होता है, तो केवल 2009-2010 के ए.पी.आई. प्राप्तांक ही मूल्यांकन के लिए अपेक्षित होंगे। यदि शिक्षक वर्ष 2012 में सी.ए.एस पदोन्ति हेतु पात्र होता है, तो इन श्रेणियों के लिए दो वर्ष की औसत की ही मूल्यांकन हेतु अध्वश्यकता होगी, इसी प्रकार उत्तरोत्तर संपूर्ण मूल्यांकन अवधि पूर्ण की जाएगी।
- 4. जैसा कि तालिका II में दर्शाया गया है, प्रत्येक श्रेणी में न्यूनंतम विहित प्राप्तांकों के अध्यधीन अपेक्षित न्यूनंतम ए.पी.आई. प्राप्तांक के कुल जमा को किन्हीं दो विस्तृत श्रेणियों से जोड़ा जा सकता है। यह उन शिक्षकों को उचित महत्व (अंक) प्रदान करेगा, जो कि श्रेणी I तथा II में दिए गए किसी घटक के माध्यम से अतिरिक्त थोगदान करते हैं स्थथ ही विभिन्न संस्थागत ढांचे में पृथक प्रकृति का संभव थोगदान भी करते हैं।
- 5. श्रेणी 111 के लिए (अनुसंधान तथा अकादमिक योगवान), शिक्षकों द्वारा पिछले रिकार्ड का रख-रखाव सामान्य आधार पर किया जाता है, इरालिए संपूर्ण मूल्यांकन अवधि के लिए इस श्रेणी हेतु ए.पी.आई. प्राप्तांक को लग् करने में किसी समस्या की परिकल्पना नहीं की गई है। इस श्रेणी में, प्रत्येक स्टेज में पदोन्नित के लिए कुल न्यूनतम प्राप्तांक अपेक्षित होता है। वैकल्पिक रूप से किसी शिक्षक को पिछले दो स्टेजों को एक साथ मिलाकर न्यूनतम कुल प्राप्तांक प्राप्त करने होंगे।
- 6. अभ्यर्थी, यदि तालिका-। तथा ॥ में दशीए गए न्यूनतम ए.पी.आई. प्राप्तांकों को पूर करते हैं, तो उन्हें पदोन्नित के लिए मूल्यांकन हेतु अपेक्षित प्रोफार्मा में स्वयं आवेदन करना चाहिए। यदि वे अपने आपको पात्र मानते हैं, तो अंतिम तिथि से तीन माह पूर्व वे ऐसा कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी अपने आपको पात्र नहीं समझते हैं, वे भी बाद में आवेदन कर सकते हैं।
- 7. तथापि, यदि अभ्यर्थी अंतिम मूल्यांकन पर तालिका II (क) तथा II (ख) की पंक्ति तीन और बार के तहत न्यूनतम भानदंड को पूरा नहीं करते हैं, या विशेषज्ञ मूल्यांकन में 50 प्रतिशत रो कम अंक प्राप्त करते हैं तो उनका पुनःमूल्यांकन एक वर्ष की अवधि के बाद ही किया जाएगा।
- (क) यदि अभ्यर्थी न्यूनतम पात्रता अवधि को पूरा होने पर पदोन्नति के लिए आवेदन करता है तथा सफल होता है तो पदोन्नति की तिथि पात्रता की न्यूनतम अवधि मन्नी जाएगी।
 - (ख) तथापि, यदि अभ्यथी यह पाता है कि वह बाद की तिथि में पात्रता की शर्ते पूरा करता है तथा उस तिथि को आवेदन करता है और सफल होता है तो उसकी पदोन्नति आवेदन की तिथि से गानी जाएगी।
 - (ग) यदि अभ्यर्थी प्रथम मूल्यांकन में सफल नहीं होता है परंतु बाद के मूल्यांकन में सफल होता है तो उसकी पदोन्नति बाद की तिथि से मानी जाएगी।

तालिका—॥ (ख)

महाविद्यालयों (कालेजों) में शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए अकादमिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) हेतु न्यूनतम स्कोर तथा विनियम में विनिर्धारित अन्य विशिष्ट पात्रता अहंताओं के साथ–साथ चयन समिति द्वारा वेटेज दिए जाने वाले बिन्दु

	लेक्चरर / समवर्ती संवर्ग (स्टेज 1)	विमागाध्यक्ष / कार्यशाला अधीक्षक समवर्ती संवर्ग (स्टेज 4)
न्यूनतम ए.पी.आई. अंक (स्कोर)	इन विनियमों में विनिधारित न्यूनतम अहैता	ए.पी.आई. की श्रेणी III से 300 अंकों। की समेकित ए.पी.आई. अंक अपेक्षा
चयन समिति मानदंड/वेटेज (कुल वेटेज =100)	(क) अकादभिक रिकार्ड तथा अनुसंघान निष्पादन (50 प्रतिशत)	(क) अकादमिक पृष्ठभूमि (20 प्रतिशत)
	(ख) कार्यक्षेत्र ज्ञान तथा शिक्षण कौशल का मूल्यांकन (30 प्रतिशत) (ग) साक्षात्कार निष्पादन (20 प्रतिशत)	

तालिका—III कॉलेजों में शिक्षकों की पदोन्नति के लिए न्यूनतम अकादिमक निष्पादन तथा सेवा अपेक्षाएं

क्रम0 स0	सी.ए.एस. के माध्यम से शिक्षकों की पदोन्नति	सेवा अपेक्षा	अपेक्षित न्यूनतम् अकादमिकं निष्पादन तथा स्क्रीनिंग/चयन भानदंड
1.	लेक्चरर स्टेज 1 से 2	्पाएय.डा. क साथ चार ्वर्ष की सेवा पूर्ण की हो	(i) परिशिष्ट-। की तालिका ॥(क)/ ॥(ख) में उपबंधित मानदंडों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा विकसित पी. बी.ए.एस. अंक प्राप्ति प्रोफार्मा का उपयोग करते हुए न्यूनतम ए.पी.आई. अंक (स्कोर)। (ii) अभातशिष/केन्द्र/राज्य सरकार/टी.ई.क्यू.आई.पी./सी.आई.आई.आई.आई.एल. पी./आई.एस.टी.ई./एन.आई.टी.टी.टी. आर./आई.आई.टी.टी.टी. डारा अनुमोदित अथवा संचालित 2/3 सप्ताह की अविध का एक पुनश्चर्या/अनुसंधान

-			
	ļ		पद्धति तथा एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम।
	<u> </u>		(iii) पदोन्नति की अनुशंसा के लिए स्क्रीनिंग सह सत्यापन प्रक्रिया।
2.	लेक्यरर स्टेज 2 रो 3	लेक्चरर, जिसने स्टेज में पांच वर्ष की सेवा पूण कर ली हो।	2 (i) परिशिष्टः -। की तालिकः ॥(क)/ (i) परिशिष्टः -। की तालिकः ॥(क)/ (ii) (ख) में उपबंधित मानदंडों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा विकसित पी. बी.ए.एस. अंक प्राप्ति प्रोफार्मा का उपयोग करते हुए न्यूनतम ए.पी.आई. अंक।
			(ii) अभातिशिष / केन्द्र / राज्य सरकार / टी.ई.क्यू आई.पी. / सी.आई.आई.आई.एल. पी. / आई.एस.टी.ई. / एन.आई.टी.टी.टी. आर. / आई.आई.आई.टी. / डी.टी.ई. / एस.बी.टी. ई. / विश्वविद्यालय इत्यादि द्वारा अनुमोदित अथवा संचालित पुनश्चर्या पाउ्यक्रमों, पद्धित कार्यशालाओं प्रशिक्षण, शिक्षण—अधिगम मूल्यांकन प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों, सॉफ्ट दक्षता विकास कार्यक्रमों की श्रेणी से एक पाठ्यक्रम / कार्यक्रम तथा 2/3 सप्ताह की अवधि का एक संकाय विकास कार्यक्रम।
3.	लेक्परर (स्टेज 3) रो (स्टेज 4)	लेक्चररं, जिसने स्टेज 3 में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	(iii) पदोन्नित की अनुशंसा के लिए स्क्रीनिंग सह सत्यापन प्रक्रिया। (i) परिशिष्ट—I की तालिका ii(क) / II(ख) में उपबंधित मानदंडों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा विकसित पी. बी.ए.एस. अंक प्राप्ति प्रोफार्मा का उपयोग करते हुए न्यूनतम ए.पी.आई. अंक।
	· 		(ii) लेक्चरर के रूप में संपूर्ण अवधि (बारह वर्ष) में कम से कम तीन प्रकाशन। तथापि, महाविद्यालयों (कालेजों) के शिक्षकों के मामले में एम.फिल. की डिग्री धारकों को एक प्रकाशन की छूट दी जाएगी तथा पीएच.डी. धारकों को दो प्रकाशनों की छूट दी जाएगी।

			(iii) अभातशिष/केन्द्र/राज्य सरकार/ टी.ई.क्यू.आई.पी./सी.आई.आई.आई.एल. पी./आई.एस.टी.ई./एन.आई.टी.टी.टी. आर./आई.आई.टी./डी.टी.ई./एस.बी.टी. ई./विश्वविद्यालय इत्यादि द्वारा अनुमोदित अथवा संचालित पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, पद्धति कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, शिक्षण-अधिगम-मूल्यांकन प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों, सॉफ्ट दक्षता विकास कार्यक्रमों की श्रेणी से एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम तथा न्यूनतम एक सप्ताह की अवधि का एक संकाथ विकास कार्यक्रम।
;			॥(ख) और इस विनियम में यथा अनुबंधित चयन समिति प्रक्रिया।
4.	लेक्चरर (स्टेज 4) से (स्टेज 5)	15 EII	(i) परिशिष्ट-! की तालिका !!(क)/ !!(ख) में उपबंधित मानदंडों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा विकसित पी. बी.ए.एस. अंक प्राप्ति प्रोफार्मा का उपयोग करते हुए न्यूनतम वार्षिक/संवयी ए.पी. आई. अंक। शिक्षक, आवश्यकता होने पर न्यूनतम ए.पी.आई. प्राप्त करने हेतु, दो मूल्यांकन अवधियों (स्टेज 2 तथा 3 में) को जोड़ सकता है। (ii) शिक्षक को स्टेज 3 में रखे जाने की अवधि से न्यूनतम पांच प्रकाशन। (iii) परिशिष्ट-। की तालिका !!(क) तथा !!(ख) और इस विनियम में यथा। अनुबंधित चयन समिति प्रक्रिया।

..

.*

,

.

	राज्य सरकार							
	वार्षिक स्व-मूल्यांकन							
<u>क</u>	कार्य निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएएस) हेतु वार्षिक स्वमूल्यांकन							
ļ	सत्र / वर्ष							
· –	(प्रत्येक अकादिमक वर्ष के अंत में पूर्ण रूप से भरकर जमा किया जाए)							
	भाग—क							
	(सामान्य सूचना)							
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	नाम (बड़े अक्षरों में) पिता का नाम / माता का नाम / पित का नाम विभाग वर्तमान पद एवं वेतन ग्रेड पिछली पदोन्नित की तिथि पत्र व्यवहार हेतु पता (पिन कोड सिहत) स्थायी पता (पिन कोड, फोन नं०, ई मेल सिहत) क्या वर्ष के दौरान कोई डिग्री या शैक्षिक ग्रीग्यता प्राप्त की है अकादिमक स्टाफ कालेज दिग्विन्यास / पुनश्चर्या पाड्यक्रम, जिनमें वर्ष के दौरान भाग लिया गया							
	पाठ्यक्रम का नाग / स्थान अवधि प्रायोजक अभिकरण ग्रीष्मकालीन स्कूल							

4265 8572-6

	भाग—ख : अकादमिक कार्य निष्पादन सूचकांक							
(कृपर	(कृपया इस खण्ड को भरने से पूर्व इस (पी.बी.ए.एस.) प्रोफार्मा के ब्यौरेवार अनुदेशों को देख लें)							
न्दर्भ (क्षे	र्या (शोगी) ः । शिष्टमा यशियम तथा मन्यांतन संबंधी क्रायंक्रमण							
্বণ (স	वर्ग (श्रेणी) : 1. शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन संबंधी कार्यकलाप							
; (i) 	(i) व्याख्यान, संगोष्टियाँ, अनुशिक्षण कक्षाएं, प्रायोगिक कक्षाएं, संपर्क घंटे (सत्रवार ब्यौरा दें, जहाँ आवश्यक हो)							
क्रम सं0	पाठ्यक्रम / प्रश्न पत्र स्तर शिक्षण प्रति सप्ताह ली गई दस्तावेर्ज का आंबटित कक्षाएं रिकार्ड व माध्यम* कक्षाओं की अनुसार त							
	संख्या गई कक्षाओं / प्रायोगिक कक्षाओं व संख्या क प्रतिशत							
	<u> </u>							
<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
: ! !								
। * टर	।							
• — — —	ए.पी.आई. स्को							
(ক)	ली गई कक्षाएं (100 प्रतिशत कार्य निष्पादन पर अधिकतम 50 अंक (रकोर) तथा 80 प्रतिशत तक कार्य निष्पादन पर अनुपातिक अंक, इससे निचले स्तर पर कोई अंक नहीं दिया जायेगा)							
(ख)	अभातिशिप प्रतिमान के अतिरिक्त शिक्षण भार (अधिकतम अंक : 10)							
(ii)	पाठन / परामर्श प्राप्त अनुदेशात्मक सामग्री एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त ज्ञान संसाधन							
क्रभ सं0	पाठ्यक्रम / पेपर परामर्श विनिर्दिष्ट उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त संसाधन							
. ——	†····							
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							

,

<u></u> -	
	i
1	
<u> </u>	- ·· ··· <u>- · · · · · · · · · · ·</u>
:	
्रभाठ्यस	र्यों के अनुसार जानकारी/अनुदेशन देगा अथवा तैयारी ; ए.पी.आई. स्कोर
विद्यार्थि	यों को अतिरिक्त रासाधन उपलब्ध करवाते हुए पाठ्यक्रम संवृद्धि
। (अधिकत	TH अंक : 20)
(311-14)	11 -14 1 20/
(iii)	सहभागितापूर्ण तथा दिग्विन्यास शिक्षण-अधिगम पद्धतियों का उपयोग, विषय-वस्तु
(,	्रार्रभागरमञ्जून राजा ।परापन्यास ।शबाग-आधगम पद्धातया का उपयाग, विषय-वस्तु
	को अद्यतन करना, पाठ्यक्रम सुधार आदि
क्रम	संक्षिप्त विवरण ए.पी.आई. स्कोर
सं0	राजार विकर्
. 10	·
i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
:	
⊢ -	
!	· ·
	i
	·
	कुल अंक (अधिकत्तम अंक : 20)
	į
(iv)	
⊢	सौंपी गई एवं निष्पादित की गई परीक्षा ड्यूटी
क्रम	परीक्षा इयूटी का प्रकार सौंपी गई इयूटी कितने (प्रतिशत) ए.पी.आई.
ं सं0	निष्पादित की गई रकोर
· ·	—ः
	i i
├	······································
ļ -—	├ [.]
	ļ į
· · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	··
· ·	
	कुल अंक (अधिकतम अंक : 25)

वर्गः ।। सह–पाठ्येत्तर, विस्तार, व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप

कृपया निम्नलिखित में से किसी एक के लिए अपना योगदान दर्शीयें :

क्रम	कार्यकलाप का प्रकार	औसत	ए.पी.आई. अक
सं0 (i) विस्तार कार्यकलाप	सह पाद्येत्तर एवं विषयक्षेत्र आधारित	घंटे / सप्ताह	रकोर
कुल (अधि (ii) संस्थान योगदान	कतम अंक : 20) न के प्रबंधन तथा कारपोरेट जीवन में	वार्षिक / रोमेस्टर- वार उत्तरदायित्व	ए.पी.आई. अंक स्कोर
कुल (अधि (iii) व्यावर	कतभ अंक : 15) भायिक विकासगत गतिविधिया		
	कतम अंक : 15) (i+ii+ji) (अधिकतम अंक : 25)		i

वर्ग : III <u>(शोध, प्रकाश</u>न एव<u>ं अ</u>काद<u>मिक</u> योगदान)

, -	जर्नेल्स भें प्रक		-				<u> </u>
, क्रम (10)	पृ.सं. सहित शीर्षक	जर्नल	आई.एस. एस.एन. / आई.एस. बी.एन. संख्या		सह लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हुँ?	ए.पी. आई. स्कोर
(ख) (क्रम सं0	i) पुस्तकों में पृ.सं. सहित शीर्षक	प्रकाशित लेख पुस्तक शीर्षक संपादक एवं	आई.एस. एस.एन. / आई.एस. बी.एन.	क्या समकक्ष समीक्षा की गई?	सह लेखकीं की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं?	ए.पी. आई. स्कोर
(ii) क्रम संo	सम्मेलन कार्य पृ.सं. सहित शीर्षक	प्रकाशक वाहियों में पूर्ण सम्भेलन प्रकाशन का ज्यौरा	संख्या पत्र आई.एस.ए एन. / आ एस.बी.ए संख्या	ई. की संख	:	गप मुख्य र क हैं?	

(iii)	एकल लेखक या संपादक व	के रुप में प्रकाशि	त पुस्तकों			
क्रम Kio	पृ.सं. पुस्तक का सहित प्रकार एवं शीर्षक कर्त्तृव्य	प्रकाशक एवं आई.एस.एस. एन./आई. एस.बी.एन. संख्या	क्या समकक्ष समीक्षा की गई	सह-लेखकों की संख्या	क्या आ मुख्य लेखक है	प े ए.पी. आई. १२ स्कोर
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u>.</u>	(ग) चल रही एवं पूर्ण हो चु (i एवं ii) चल रही परियोज शीर्षक	——		एं गतिशील उ राशि (लाख		ं ए.पी.आई. स्कोर
(ग) क्रम संo	(iii एवं iv) पूर्ण हुई परियोज नामांक्रन रां० अभिकरण		गर्च गतिशील अनुदान राशि (लाख रू० में)	निष्कर्ष रू पॉलिस दस्तावेज /	नी [!]	ए.पी.आई. रकोर —
i						· — —

क्रम संव	1			
שאי אט	! मानदण्ड	गत अकादमिक जर्म	आकलन अवधि हेतु	आकलन अवधि
		वर्ष	कुल ए.पी.आई. अंक	हेतु वार्षिक
	:			औसत ए.पी.आई
	-		·) अंक
I	शिक्षण अधियम तथा			İ
	मूल्यांकन संबंधी			
	कार्यकलाप		,	
Ш	सह पाद्येत्तर, विस्तार,			
	व्यावसायिक विकास आदि			
	कुल I + II			<u>:</u>
III	शोध एवं अकादमिक			!
	योगदान			
-		ग : अन्य संबंधि		
	2112	1 1 . 014 11414	VI VINI	
	किसी अन्य विश्वसनीय, महत्व			7 75 19 61 11
	ीरा (जहां कहीं आवश्यक हो,	पप, मूल्य आप, परा।	۹)	
rio				
		-		
	ों की सची : {जहां कहीं आव	 - श्यक हो कपया प्रमाप	गपत्रों स्वीकृति आदेशों ए	म्त्रों आदि की
	में की सूची : (जहां कहीं आव	 श्यक हो, कृपया प्रमाप	गपत्रों, स्वीकृति आदेशों, ए	म्त्रों आदि की
ातियां र	ों की सूची : (जहां कहीं आव प्राथ लगाएं)		गपत्रों, स्वीकृति आदेशों, प	मत्रों आदि की
ातियां र हम			गपत्रों, स्वीकृति आदेशों, र	मत्रों आदि की
ातियां र हम मंo		कम सं0	गपत्रों, स्वीकृति आदेशों, प	मत्रों आदि की
ातियां र हम मंo		कम संo 6.	गपत्रों, स्वीकृति आदेशों, प	मत्रों आदि की
ातियां र कम मंo		कम संo 6. 7.	गपत्रों, स्वीकृति आदेशों, ग	म्त्रों आदि की
ातियां र हम मं0 		कम सं0 6. 7. 8.	गपत्रों, स्वीकृति आदेशों, प	मत्रों आदि की
ातियां र हम मंo !. !.		कम सं0 6. 7. 8.	गपत्रों, स्वीकृति आदेशों, प	मत्रों आदि की
ातियां र हम मंo s.	प्ताथ लगाएं)	कम सं0 6. 7. 8. 9.		· · ·
तियां र हम नं0	पत करता / करती हूँ कि यहां	कम सं0 6. 7. 8. 9. 10. दी गई जानकारियां,	राज्य सरकार में उपलब्ध	
हियां र हम मं0 डे. डे.	प्ताथ लगाएं)	कम सं0 6. 7. 8. 9. 10. दी गई जानकारियां,	राज्य सरकार में उपलब्ध	
हियां र हम मं0 डे. डे.	पाय लगाएं) भेत करता / करती हूँ कि यहां	कम सं0 6. 7. 8. 9. 10. दी गई जानकारियां,	राज्य सरकार में उपलब्ध के साथ दस्तावेज लगाए	
हियां र हम मं0 डे. डे.	पाय लगाएं) भेत करता / करती हूँ कि यहां	कम सं0 6. 7. 8. 9. 10. दी गई जानकारियां,	राज्य सरकार में उपलब्ध के साथ दस्तावेज लगाए संकाय	रिकार्ड के गए हैं।
हियां र हम मं0 डे. डे.	पाय लगाएं) भेत करता / करती हूँ कि यहां	कम सं0 6. 7. 8. 9. 10. दी गई जानकारियां,	राज्य सरकार में उपलब्ध के साथ दस्तावेज लगाए संकाय पद, स्था	रिकार्ड के गए हैं। सदस्य के हस्ताक्ष न एवं तिथि सहित
हियां र हम मं0 डे. डे.	पाय लगाएं) भेत करता / करती हूँ कि यहां	कम सं0 6. 7. 8. 9. 10. दी गई जानकारियां,	राज्य सरकार में उपलब्ध के साथ दस्तावेज लगाए संकाय पद. स्था	रिकार्ड के गए हैं। सदस्य के हस्ताक्ष न एवं तिथि सहित
तियां र हम मं0 १. १. १. १. १. १. १. १. १.	गत करता / करती हूँ कि यहां सही हैं तथा विधिवत भरे गए	क्रम सं0 6. 7. 8. 9. 10. दी गई जानकारियां, पी.बी.ए.एस. प्रोफार्मा	राज्य सरकार में उपलब्ध के साथ दस्तावेज लगाए संकाय पद, स्था विभागाध्यक्ष	रिकार्ड के गए हैं। सदस्य के हस्ताक्ष न एवं तिथि सहित । / विद्यालय अध्यक्ष प्राचार्य के हस्ताक्ष
हियां र हम हं0 हे. हे. हे. हे. हे. हे. हे. हे.	पाय लगाएं) भेत करता / करती हूँ कि यहां	कम सं0 6. 7. 8. 9. 10. दी गई जानकारियां, पी.बी.ए.एस. प्रोफार्मा	राज्य सरकार में उपलब्ध के साथ दस्तावेज लगाए संकाय पद, स्था विभागाध्यक्ष /	रिकार्ड के गए हैं। सदस्य के हस्ताक्ष न एवं तिथि सहित । / विद्यालय अध्यक्ष प्राचार्य के हस्ताक्ष र्मा, विधिवत भरा

पी.बी.ए.एस. प्रोफार्मा के भाग ख को भरने हेतु अनुदेश

प्रोफॉर्मा का भाग ख, अभातशिप विनियम 2010 पर आधारित है। इसको हाल ही में समाप्त हुए अकादभिक वर्ष हेतु भरा आयेगा।

प्रोफॉर्मा, इन तालिकाओं तथा स्व–आकलन किए गए अंकों के आधार पर भरा जायेगा। प्रत्येक श्रेणी के लिए दिये जाने वाले अथवा अग्रसारित किये जाने वाले अधिकतम स्कोर को तालिका में दिया यथा है।

रव मूल्यांकित प्राप्तांक अंक नीचे दर्शाये गए सूचकांकों /कार्यकलापों पर आधारित होंगे। विश्वविद्यालय, उनके अनुभवों एवं अपेक्षाओं पर आधारित विस्तृत सूचकांकों और संबंधित अंकों में परिशिष्ट 111, तालिका 1 में वर्गों एवं उपवर्गों को दिए गए प्राप्तांकों में परिवर्तन किए बगैर संशोधित कर सकते हैं।

नोट : स्व मूल्यांकन अंकों का सत्यापन राज्य सरकार/कालेज द्वारा जांच तथा छानबीन-सह-जांच समिति या चयन समिति पर निर्भर करता है, जैसा भी गामला हो।

1	. शिक्ष	ण तथा मूल्यांकन संबंधी कार्यकलाप	· -
		सूचकांक / कार्यकलाप	अधिकतम अंक
: : i	(i)	(क) व्याख्यान/प्रायोगिक कक्षाएं/अनुशिक्षण/ली गई संपर्क कक्षाएं जांच योग्य रिकार्ड पर आधारित होनी चाहिएं।	50
	İ	थिद किसी शिक्षक ने भौंपी गई कक्षाओं में से 80 प्रतिशत से कम कक्षाएं ली हैं उसे कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय, अवकाश की अविधि हेतु भत्ता प्रदान कर सकता है, जहां साधारणतः वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था की गई है।	
		(ख) यदि शिक्षक ने अभातिशप प्रतिमान से हटकर कक्षाएं ली हैं, ऐसे में कक्षाओं / क्रेडिट के प्रत्येक अतिरिक्ष घंटे के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे	 10
	(ii)	Delfda much vide from the control of	20
	(iii)	(100 प्रतिशत अनुपालन = 20 अंक) सहभागिता एवं अभिनव शिक्षण-अधियम पद्धतियों, अद्यतन विषयवस्तु, माठ्यद्र संवर्धन आदि का उपयोग।	 _{गम} ¦
_		पाठ्यक्रमों, पाठ्य विवरण की रूपरेखा को अद्यतन करना (5-एकल पाठ्यक्रम हेतु)	
_	i	संसाधन सामग्री, नव पाठन सामग्री प्रयोगशाला संहिता इत्थादि तैयार करना।	
	<u></u>	नवाचारी शिक्षण / अधिगम में प्रशिक्षण पद्धतियों का उपयोग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, अद्यतन विषयवस्तु एवं पाठ्यक्रम सुधार।	10

		क । सूचना एवं संयार प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षण सामग्री : प्रत्येक	
		के लिए 10 अंक	!
	 	ख अन्योन्यक्रिया पाठ्यक्रम : प्रत्येक के लिए 5 अंक	:
	 	म सहभागितापूर्ण अधिगम मॉड्यूल्स : प्रत्येक के लिए 5 अंक	: :
-	<u>:</u> :	 विकासात्मक तथा विदित उपचारात्मक / ब्रिज पाठ्यक्रम तथा परामर्शी	10
		मॉडयूल्स (प्रत्येक कार्यकलाप : 5 अंक)	
•		विकासात्मक तथा विदित्त साफ्ट दक्षता/संचार दक्षता/व्यक्तित्व विकास	10
	•	पाठ्यक्रम / मॉडयूल्स (प्रत्येक कार्यकलाप : 5 अंक) शारीरिक शिक्षा, पुस्तकालय में विकासात्मक विदित्त विशेषज्ञतापूर्ण	10
	i i	शिक्षण-अधिगम कार्यक्रमः संगीत में नवाचारी भुजन एवं रचनात्मकता,	
		कार्यनिष्पादन एवं दृश्यात्मक कला एवं अन्य पारंपरिक क्षेत्र (प्रत्येक	
_		कार्यकलाप : 5 अंक)	! !
	 	विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर सहायक शिक्षण/वैब आधारित शिक्षण तथा ई-पुस्तकालय कौशल में प्रचलित कार्यक्रमों/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था एवं संचालन	. 10 :
	-	क : कार्यशाला / प्रशिक्षण पाठयक्रम : प्रत्येक के लिए 10 अंक	i I
·· -	 	ख प्रचितत कार्यक्रम : प्रत्येक के लिए 5 अंक	İ
	<u> </u>	अधिकतम पूर्णाक सीभा	20
	(iv)	परीक्षा संबंधी कार्य	<u> </u>
		कालेज / राज्य सरकार तथा सत्रीय / वार्षिक परीक्षा कार्य आबंटित ड्यूटी	20
		के अनुसार	
	! 	(निरीक्षण कार्य—10 अंक:, उत्तर पुरितकाओं का मूल्यांकन—5 अंक: प्रश्नपत्र तैयार करना—5, अंक)	l
		(100 प्रतिशत अनुपालन = 20 अंक)	
		कालेज / राज्य सरकार परीक्षा / मूल्यांकन उत्तरदायित्व, आबंटित किए गए	10
		अनुसार आतंरिक / निरंतर आकलन कार्य हेतु	•
		(१०० प्रतिशत अनुपालन 👉 १० अंक)	
		समन्वयन जैसे परीक्षा कार्य, या उडगदस्ता ड्यूटी आदि (अधिकतम 5 या	10
	!	10 अंक ड्यूटी की गंभीरता पर निर्भर	
		(100 प्रतिशत अनुपालन = 10 अंक) 	
		अधिकतम पूर्णाक सीमा ख (iv)	25
 11	 सह-	 पाठ्येत्तर, विस्तार एवं व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप तथा संस्थान :	<u> </u>
_	1	गेरेट कार्यकलापों में मागीदारी	
	(i)	विस्तार तथा सह-पाउँथेत्तर संबंधी कार्यकलाप	-1
	1 11		1

•

[415.][] · · · · · · · · · · · · ·	% व ।
j.	अध्ययन / शैक्षिक दौरे, उद्योग स्थापना प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यकलाप
	(प्रत्येक के लिए 5 अंक)
	पद / नेतृत्व की भूमिका जो विस्तारित कार्य तथा राष्ट्रीय सेवा योजना 10
!	ं (एन.एस.एस.) एन.सी.सी. या कोई अन्य समानुरूप कार्यकलाप से संबद्ध
	संगठन में निभाई गई भूमिका (प्रत्येक कार्यकलाप के लिए 10 अंक)
, , <u> </u>	विद्यार्थियों एवं स्टॉफ संबंधी सामाजिक सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम, 10
	परिसर प्रकाशन (विभागीय स्तर 2 अंक संस्थागत स्तर–5 अंक)
	सागुदायिक कार्य जैसे संष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र 10
	समाजवाद, मानवतावाद, शांति, वैज्ञानिक प्रकृति ; बाढ़ या सूखा सहत, i
'	छोटा परिवार मानदण्ड आदि (प्रत्येक के लिए 5 अंक)
	अधिकतम पूर्णाक सीमा 20
	<u>- </u>
(ii	
	बैठकों, प्रचलित व्याख्यानों, विषय संबंधी आयोजनों, कालेज पत्रिका तथा 10
	राज्य सरकार के संस्करणों में आलेखों के माध्यम से विश्वविद्यालयों /
	महाविद्यालयों के कोरपोरेट कार्यकलापों में योगदान (प्रत्येक के लिए 2
<u> </u>	अंक)
	संस्थानात्मक शासन उत्तरदायित्व- जैसे उप—प्राधार्य, डीन, निदेशक, 10
!	वार्डन, बर्रार, स्कूल अध्यक्ष, आई.क्यू.ए.सी. समन्वयक
	(प्रत्येक के लिए 10 अंक)
,	विभागीय या संस्थानात्मक प्रबंधन के किसी भी पहलू सहित समितियों में 10
'	सहभागिता - जैसे दाखिला समिति, परिसरीय विकास, पुस्तकालय समिति
	(प्रत्येक के लिए 5 अंक)
li	छात्र कल्याण, परामर्श एवं अनुशासन हेतु समितियों में सहभागिता अथवा 10
	उत्तरदायित्य (प्रत्येक के लिए 5 अंक)
:	सम्मेलन / प्रशिक्षण का संगठन : अंतर्राष्ट्रीय (10 अंक) ; राष्ट्रीय / क्षेत्रीय 10
	: (05 अंक)
	अधिकतम पूर्णाक सीमा 15
:	
(ii	
<u></u> .	व्यवसाव संबंधी समितियों की सदस्यता राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर 10
	क राष्ट्रीय स्तर पर : प्रत्येक के लिए 3 अंक
<u> </u>	ख । राज्य स्तर पर : प्रत्येक के लिए 2 अंक
	विषयं संघों, राम्भेलनों, संगोष्टियों में बगैर पत्र प्रस्तुतिकरण के सहभागिता 10
	(प्रत्येक कार्यकलाप के लिए : 2 अंक)
	शैक्षिक प्रौद्योगिकी, पाठ्यवर्या विकास, व्यावसायिक विकास, परीक्षा सुधार, 10
<u>'</u>	संस्थानात्मक शासन में 1 सप्ताह से कम अवधि के अल्पकालीन प्रशिक्षण
	······································

- '	पाठयक्रमों में सहभागिता	
İ	(प्रत्येक कार्यकलाप के लिए : 5 अंक)	
.	शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास पर निकायों / समितियों में सदस्यता / सहभागित	10
:	(प्रत्येक कार्यकलाप के लिए : 5 अंक)	:
 	समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या अन्य प्रकाशनों (जो वर्ग 3 में शामिल नहीं हैं)	10
	में आलेखों का प्रकाशन; रेडियो वार्ता आदि	
	(प्रत्येक के लिए 1 अंक)	
	अधिकतम पूर्णाक सीमा	15
अनुस	घान, प्रकाशन तथा अकादामक यागदान	:
,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ı		. ,
ı		, फार्मूले
(iii)	ए.पी.आई. अंकों का सारांश	
सूचक	नकों के प्रत्येक सेट के लिए अधिकतम अंक (स्कोर) सीमा के सारांश को हिर	गब में !
रखा	जाएगा	:
(iv)	इसी प्रकार पुरतकालयाध्यक्ष / उप-पुरतकालयाध्यक्ष / सहायक पुस्तकालया	 ध्यक्ष तथा
	निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद/उप–निदेशक, शारीरिक ि	शिक्षा एवं
	खेलकूद / सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के संवर्गों के लि	ए पी.बी.ए.
		,
	इसक योगद के अ (iii) सूचक रखा	शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास पर निकायों / सिमितियों में सदस्यता / सहभागिता (प्रत्येक कार्यकलाप के लिए : 5 अंक) समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या अन्य प्रकाशनों (जो वर्ग 3 में शामिल नहीं हैं) में आलेखों का प्रकाशन; रेडियो वार्ता आदि (प्रत्येक के लिए 1 अंक) अधिकतम पूर्णाक सीमा अनुसंघान, प्रकाशन तथा अकादिमक योगदान इसको अभातिशप विनियम 2010 के अनुसार भरा जाएगा। जहां कहीं भी अनुसंधान योगदान संयुक्त रूप से किया गया है, ए.पी.आई. अंकों को, तालिका-1 दर्शीये गए के अनुसार सहयोगियों के मध्य बांट दिया जाएगा। (iii) ए.पी.आई. अंकों का सारांश सूचकांकों के प्रत्येक सेट के लिए अधिकतम अंक (स्कोर) सीमा के सारांश को हिर रखा जाएगा। (iv) इसी प्रकार पुस्तकालयाध्यक्ष / उप-पुस्तकालयाध्यक्ष / सहायक पुस्तकालया निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद / उप-निदेशक. शारीरिक शिक्षा

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2012

All India Council for Technical Education (Career Advancement Scheme for the Teachers and other Academic Staff in Technical Institutions) (Diptoma) Regulations, 2012.

F. No. 37-3/Legal/A1CTE/2012. In exercise of its powers conferred under sub-section (1) of Section 23 read with Section 10(i) and (v) of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education makes the following Regulations:

ì.	SHORT TITLE, APPLICATION AND COMMENCEMENT:			
	1.1	These Regulations may be called the All India Council for Technical Education (Career Advancement Scheme (CAS) for the Teachers and other Academic Staff in Technical Institutions) (Diploma) Regulations, 2012.		
	1.2	They shall apply to all technical institutions approved by the AICTE imparting technical education and such other courses/Programs and areas as notified by the AICTE from time to time.		

[भाग	[1]	क्षपट	ा भारत का राजपत्र : असाधीरणः
 !	<u></u>	1.3	They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
			Provided that in the event, any candidate becomes eligible for promotion under Career Advancement Scheme in terms of these Regulations on or after 5 th March, 2010, the promotion of such a candidate shall be governed by the provisions of these Regulations.
l.		J	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	2.	CA	REER ADVANCEMENT SCHEME :
		2.1	A teacher who wishes to be considered for promotion under CAS may submit in writing to the State Government / College, within three months in advance of the due date, that he / she fulfils all qualifications under CAS and submit to the State Government / College the Performance Based Appraisal System (PBAS) in a proforma as evolved by the concerned State Government / College duly supported by all credentials as per the Academic Performance Indicator (API) guidelines (Appendix 1) set out in these Regulations.
-		2.2	In order to avoid delays in holding Selection Committee meetings in various positions under CAS, the State Government / College should immediately initiate the process of screening / selection, and shall complete the process within six months from the date of application. Further, in order to avoid any hardships, candidates who fulfill all other criteria mentioned in these Regulations, as on 05th March, 2010 and till the date on which these Regulations are notified, can be considered for promotion from the date, on or after 5th March, 2010, on which they fulfill the eligibility conditions.
ļ	,	2.3	Candidates who do not fulfill the minimum score requirement under the API Seoring System proposed in the Regulations as per Tables II (A) of Appendix 1 or those who obtain less than 50% in the expert assessment of the selection process will have to be re-assessed only after a minimum period of one year. The date of promotion shall be the date on which he / she is successfully re-assessed.
		2.4	The Selection Committee specifications as defineated in Clause 4 are applicable to Career Advancement promotions of Lecturer to Lecturer (Senior scale) to Lecturer (Selection Grade).
į		2.5	CAS promotions from a lower grade to a higher grade of Lecturer / Lecturer (Senior scale) shall be conducted by a "Screening-cum-Evaluation Committee" adhering to the criteria laid out as API score in Performance Based Appraisal System (PBAS) in the Tables of Appendix 1.
		2.6	The "Screening-cum-Evaluation Committee" for CAS promotion of Lecturer / Lecturer (Senior scale) from one AGP to the other higher AGP shall consist of:
		-	[1] "Screening-eum-Evaluation Committee" for Cullege teachers:
			[ii] The Principal / Director of the College;
			[iii] Head of the concerned department from the College, where there is no HOD. Professor as nominated by the Principal / Director from the same or any other Institution in the jurisdiction of the concerned State; and

	į	[iii] Two subject experts in the concerned subject nominated by the State Government from the panel of experts.
<u> </u> 	[2]	For Government/ Government Aided/ Government Autonomous Colleges:
		[i] As may be prescribed by the respective State Governments / Board of Governors
2.7		porum for these committees in both categories mentioned above shall be three ding one subject expert / State nominee need to be present.
2.8	respect per the nf the Execu	Gereening-cum-Evaluation Cummittee on verification / evaluation of API score ed by the candidate through the 'PBAS' methodology designed by the etive Directorate of Technical Education hased on these Regulations and as a minimum requirement specified in Tables II and III of Appendix 1 for each e cadre of Lecturer, shall recommend to the State Government / Syndicate / ative Council / Board of Management of the College about the suitability for comotion of the candidate(s) under CAS for implementation.
2.9	All th select scorin	te selection procedures outlined above, shall be completed on the day of the ion committee meeting, wherein the minutes are recorded along with PBAS ig proforms and recommendation made on the basis of merit and duly signed members of the selection committee in the minutes.
2.10	Suhsta	promotion, being a personal promotion to the incumbent teacher holding a antive sanctioned post, on superannuation of the individual incumbent, the said hall revert to its original cadre.
2.11		ncumbent teacher must be on the roll and active service of the Colleges on the of consideration by the Selection Committee for Selection / CAS Promotion.
2.12	minin an ap before event,	idates shall offer themselves for assessment for promotion, if they fulfill the num API scores indicated in the appropriate API system tables by submitting oplication and the required PBAS proforma. They can do so three months the due date of the promotion if they consider themselves eligible. In any, the College concerned shall send a general circular twice a year calling for rations for CAS promotions from eligible candidates.
2.13	scores assess	e final assessment, if the candidates do not either fulfill the minimum API in the criteria as per PBAS proforma or obtain less than 50% in expert ament, wherever applicable, such candidates will be reassessed only after a num period of one year.
2.14	eligib	andidate applies for promotion immediately on completion of the minimum ility period and is successful, the date of promotion will be made applieable the date of completion of minimum period of eligibility.
2.15	later	wever, the candidate finds that he / she fulfils the eligibility conditions at a date and applies on that date and is successful, his/her promotion will be ed from the date of application.
2.16	subsec	candidate does not succeed in the first assessment, but succeeds in the quent assessment, his / her promotion will be deemed to be from the later of successful assessment.

3. ST	AGES OF PROMOTION UNDER CAREER ADVANCEMENT SCHEME OF
3.1	Entry level Lecturer (Stage 1) would be eligible for promotion under the Career Advancement Scheme (CAS) through three successive stages (stage 2, stage 3 and Stage 4), provided they are assessed to fulfill the eligibility and performance criteria as laid down in next clause.
3.2	In order to remedy the difficulties of collecting retrospective information and to facilitate the implementation of these Regulations from 5th March. 2010 in the CAS Promotion, the API hased PBAS will be progressively and prospectively rolled nut. Accordingly, the PBAS based on the API scores of categories I and II as mentioned in the tables of Appendix I is to be implemented for one year, initially based on the existing systems in Universities / Colleges for one year only with the minimum annual somes as depicted in Table II (a) for College teachers. This annualized API scores can then be compounded progressively as and when the teacher becomes eligible for CAS promotion to the next cadre. Thus, if a teacher is considered for CAS promotion in 2013, one year API scores for 2012-13 alone will be required for assessment. In case of a teacher being considered for CAS promotion in 2014, two years average of API scores for these categories will be required for assessment and so on leading progressively for the complete assessment period.
3.3	Lecturer, possessing Ph. D. Degree in the relevant discipline shall be eligible, for moving to the next higher grade of Rs.6000 (stage 2) after completion of four years service as Lecturer.
3.4	Lecturer possessing M. Phil Degree or a Post-Graduate Degree in professional courses, approved by the relevant statutory body, shall be eligible for the next higher grade of Rs.6000 (stage 2) after completion of five years service as Lecturer.
3.5	Lecturer who does not have Ph.D. or M.Phil or a Master's Degree in the relevant professional course, shall be eligible for the next higher grade of Rs.6000 (stage 2) only after completion of six years service as Lecturer.
3.6	The upward movement from the entry level grade (stage 1) to the next higher grade of Rs.6000 (stage 2) for all Lecturers shall be subject in their satisfying the API based PBAS conditions laid down by the AICTE in these Regulations.
3.7	Lecturer who has completed five years of service in the grade of Rs.6000 (stage 2) shall be eligible, subject to meeting the API based PBAS requirements laid down by these Regulations, to move up to next higher grade of Rs.7000 (stage 3).
3.8	Lecturer completing three years of teaching in the grade of Rs.7000 (stage 3) shall be eligible, subject to the qualifying conditions and the API based PBAS requirements prescribed by these Regulations, to move to the Pay Band of Rs.37400-67000 with next higher grade of Rs.8000 (stage 4) and to he designated as Lecturer (Selection Grade). However those joining the Service after 5th March 2010 shall have also camed Ph. D in addition to above mentioned requirements to move to the stage 4.
3.9	Lecturer (Senior Scale) completing three years of service in stage 3 and possessing a Ph. D. Degree in the relevant discipline shall be eligible to be appointed and designated as Lecturer (Selection Grade) and be placed in the next higher grade of Rs. 9000 (stage 4) subject to following:

		(a)	satisfying the required credit points as per API based PBAS requirements as provided in Tables of Appendix 1; and			
 		(b)	an assessment by a duly constituted selection committee as suggested for the direct recruitment of Head of the Department.			
4.	SELECTION COMMITTEES AND GUIDELINESS ON SELECTION PROCEDURES:					
 	The A	ICTE .	has evolved following guidelines on:			
	(a)	Cons Depa	stitution of Selection Comminees for selection of Lecturer, Head of the artment, Workshop Superintendent for direct recruitment and under CAS			
	(b)	Scher in Co	ified selection procedures for direct recruitment and Career Advancement mes Regulations for Teachers in Colleges. However, for other academic staff olleges, UGC guidelines of 30.6.2009 and any amendments / corrigendum / fications issued subsequently by UGC be followed.			
5.	SELE	CTIO	N COMMITTEE SPECIFICATIONS:			
<u>-</u>	5.1	Lect	urer in Colleges including Private Colleges :			
	<u> </u>		Selection Committee for the post of Lecturer in Colleges including Private eges shall have the fullowing composition:			
<u> </u>		1.	Chairperson of the Governing Body of the College or his/her nominee from among the members of the Governing body to be the Chairperson of the Selection Committee.			
j	•	 2 . —	The Principal / Director of the College.			
	<u> </u>	3.	Head of the Department of the concerned subject in the College.			
		4.	Two nominees of the State Government whom one shauld be a subject expert. In case of Colleges notified / declared as minority educational institutions, two nominees of the Chairperson of the College from aut of a panel of five names, preferably from minority communities, recommended by the State Government from the list of expens suggested by the relevant statutory body of the College, of whom ane should be a subject expert.			
-		5.	Two subject-experts nat connected with the College to be nominated by the Chairperson of the gaverning body of the College aut of a panel of five names recommended by the State Government from the list of subject experts approved by the State.			
		6.	In case of Colleges notified/ declared as minority educational Institutions, two subject experts not connected with the State to be nominated by the Chairperson of the Governing Body of the College out of the panel of five names, preferably from minority communities, recommended by the State Government from the list of subject experts approved by the relevant statutory body of the College			
<u>. </u>		7.	An academician representing SC / ST/ OBC/ Minority/ Women/Differently-abled categories, if any of candidates representing these categories is the			

	applicant, to be nominated by the State Government, if any of the above members of the selection committee does not belong to that eategory.
	onstitute the quorum for the meeting, five of which at least two must be from f the three subject-experts shall be present.
Gove Teac cone	all levels of teaching positions in for Government / Government aided / .emment autonomous Colleges, the State Public Services, Commissions / in the Recruitment Boards must invite three subject experts, for which the lemed State Government be involved in the selection process by respective inting authority.
5.2 Head	of the Department/ Workshop Superintendent in Colleges including Private Colleges:
Supe	Selection Committee for the post of Head at the Department/ Workshop rintendent in Colleges including Private Colleges shall have the following position:
1.	The Chairperson of the Governing Body or his or her nominee, from among the members of the Governing body to be the Chairperson of the Selection Committee.
2.	The Principal / Director of the College.
3.	The Head of the Department of the concerned subject from the State College.
4.	Two State Government representatives nominated by the State Government, one of whom will be the Principal of College or equivalent position in the College and the other must be expert in the concerned subject. In ease of Colleges notified/declared as minority educational institutions, two nominees of the Chairperson of the College from out of a panel of five names, preferably from minority communities, recommended by the State Government from the list of experts suggested by the relevant statutory body of the College of whom one should be a subject expert.
5.	Two subject-experts not connected with the College to be nominated by the Chairperson of the governing body of the College out of a panel of five names recommended by the State Government from the list of subject experts approved by the relevant statutory body of the State concerned. In case of Colleges notified / dectared as minority educational Institutions, two subject experts not connected with the State to be nominated by the Chairperson of the Governing Body of the College out of the panel of five names, preferably from minority communities, recommended by the State from the list of subject experts approved by the relevant statutory body of the College.
6.	An academician representing SC / ST / OBC / Minority / Women / Differently-abled categories, if any of candidates representing these

···-	— :	
ļ	!	categories is the applicant, to be nominated by the State, if any of the above members of the selection committee does not belong to that category.
F	T	The quorum for the meeting should be five of which at least two must be from out of the three subject-experts.
		For all levels of teaching positions in for Government / Government aided / Government autonomous Colleges, the State Public Service, Commissions / Teacher Recruitment Boards must invite three subject experts, for which the concerned State be involved in the selection process by respective appointing authority.
	5.3	College Principal / Director :
		The Selection Committee for the post of College Principal shall have the following composition:
	<u> </u>	Chairperson of the Governing Body as Chairperson.
	i i	2. Two members of the Governing Bndy of the College to he nominated by the Chairperson of whom one shall be an expert in academie administration.
<u> </u>	i	3. One nominee of the State Government who shall be a Higher Education expert.
	!	4. Three experts consisting of the Principal / Director of a College (to be nominated by the Governing Body of the College) out of a panel of six experts approved by the State Government
-		5. An academician representing SC / ST / OBC / Minority / Women / Differently-abled categories, if any of candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the State Government, if any of the above members of the selection committee does not belong to that eategory.
	†	To constitute the quorum for the meeting, five of which at least two must be from out of the three subject experts shall be present.
	<u> </u>	All the selection procedures of the selection enumittee shall be completed on the day of the selection committee meeting itself, wherein, minutes are recorded along with the scoring proforma and recommendation made on the basis of merit with the list of selected and waitlisted candidates/Panel of names in order of merit, duly signed by all members of the selection committee.
İ		The term of appointment of the College Principal / Director shall be FIVE years with eligibility for reappointment for one more term only after a similar selection committee process.
6.	COUN	AND DIRECT RECRUITING AND
 		OTION UNDER CAS:
L		Previous regular service, whether national or international, as Lecturer, Head of the Department, Workshop Superintendent or equivalent in a College, National

· . . .

Labo	pratories or other scientific / professional organizations such as the CSIR,						
recru	R, DRDO, UGC, ICSSR, ICHR, ICMR, DBT etc., should be counted for direct						
Lect	recruitment and promotion under CAS of a teacher as Lecturer (senior scale; Lecturer (Selection Grade) or any other nomenclature these posts are described a						
per A	Appendix 1 – Table No. If provided that:						
<u> </u>	<u> </u>						
(a)	The essential qualifications of the post held were not lower than the						
· · · ·	qualifications prescribed by the AICTE for Lecturer, Head of the						
	Department, Workshop Superintendent as the case may be.						
(b)	The post is/was in an equivalent grade or of the pre-revised scale of pay as						
	the post of Lecturer, Head of the Department, Workshop Superintendent						
(c)	The candidate for direct recruitment has applied through proper channel only.						
(d)	The concerned Lecturer, Head of the Department, Workshop Superintendent should possess the same minimum qualifications as prescribed by the AICTE for appointment to the post of Lecturer, Head of the Department, Workshop Superintendent, as the case may be.						
(e)	The post was filled in accordance with the prescribed selection procedure as laid down in the Regulations of State Government / Central Government / concerned institutions, for such appointments.						
; <u>(u)</u>	The previous appointment was not as guest lecturer for any duration, or an ad-hoc or in a leave vacancy of less than one year duration. Ad-hoc or temporary service of more than one year duration can be counted provided that:						
	the period of service was of more than one year duration;						
	[ii] the incumbent was appointed on the recommendation of duly constituted Selection Committee;						
	[iii] the incumbent was selected to the permanent post in continuation to the ad-hoc or temporary service; and						
	[iv] Artificial break in service shall not be used to the prejudice of employee, appointed on permanent basis. The person appointed on permanent basis shall be given the benefit of entire service rendered by him with effect from the date of initial appointment (temporary/contract/ad-hoc) notwithstanding the artificial break/breaks in service.						
(g)	No distinction should be made with reference to the nature of management of the institution where previous service was rendered (private/local body/Government) was considered for counting past services under this clause.						

APPENDIX - 1

TABLE - I

PROPOSED SCORES FOR ACADEMIC PERFORMANCE INDICATORS (APIs) IN RECRUITMENTS AND CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS) PROMOTIONS OF COLLEGE TEACHERS

CATEGORY I : TEACHING, LEARNING AND EVALUATION RELATED ACTIVITIES

Brief Explanation: Based on the teacher's self-assessment, API scores are proposed for (a) teaching related activities; (b) domain knowledge; (c) participation in examination and evaluation; (d) contribution to innovative teaching, new courses, etc. The minimum API score required by teachers from this category is 75. The self-assessment score should be based on objectively verifiable criteria wherever possible and will be finalized by the screening/selection committee.

Sl. No.	Nature of Activity	Maximum Score
ı	Lectures, seminars, tutorials, practicals, contact hours undertaken as percentage of lectures allocated a	50
2	Lectures or other teaching duties in excess of the AICTE norms	10
3	Preparation and imparting of knowledge/instruction as per curriculum; syllabus enrichment by providing additional resources to students	20
4	Use of participatory and innovative teaching-learning methodologies; updating of subject content, course improvement, etc.	20
5	Examination duties (Invigilation; question paper setting, evaluation/assessment of answer scripts) as per allotment.	25
	Total Score	125
	Minimum API Score Required	75

Universities will be required to detail the activities and in case institutional specificities require, adjust the weightages, without changing the minimum total API scores required under this category.

Note: Lectures and tutorials allocation to add up to the AICTE norm for particular category of teacher. State Government may prescribe minimum cut-nff (net of due leave), say 80 %, for 1 above, below which no scores may be assigned in these sub-categories.

CATEGORY II: CO-CURRICULAR, EXTENSION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT RELATED ACTIVITIES.

Brief Explanation: Based on the teacher's self-assessment, category It API scores are proposed for co-curricular and extension activities; and Professional development related contributions. The minimum API required by teachers for eligibility for promotion is 15. A list of items and proposed scores is given below. It will be noticed that all teachers can earn scores from a number of items, whereas some activities will be carried out only by one or a few teachers. The list of activities is broad enough for the minimum API score required (15) in this category to accrue to all teachers. As before, the self-assessment score should be based on objectively verifiable criteria and will be finalized by the screening/selection committee.

The model table below gives groups of activities and API scores. Universities may detail the activities or, in case institutional specificities require, adjust the weightages, without changing the minimum total API scores required under this category.

Sl. No.	Nature of Activity	Maximum Score
1	Student related co-curricular, extension and field based activities (such as extension work through NSS/NCC and other channels, cultural activities, subject related events, advisement and cuunseling).	20
2	Contribution in Corporate life and management of the department and institution through participation in academic and administrative committees and responsibilities.	<u> </u>
3	Professional Development activities (such as participation in seminars, conferences, short term training courses, talks, lectures, membership of associations, dissemination and general articles, not covered in Category III below):	
	Total Score	50
	Minimum API Score Required	15 -

CATEGORY- HI : RESEARCH AND ACADEMIC CONTRIBUTIONS

Brief Explanation: Based on the teacher's self-assessment, API scores are proposed for research and academic contributions. The minimum API score required by teachers from this category is different for different levels of promotion in Colleges. The self-assessment score will be based on verifiable criteria and will be finalized by the screening/selection committee.

SI. No.	APIs	Engineering	Faculties of Languages Humaoities/ Social Sciences/ Management	Max. points for College teacher position
HI A	Research Papers	Refereed Journals *	Refereed Journals*	15 / publication

	published in :		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		recognized and reputable journats and periodicals, having ISBN/ISSN	Non-refereed but recognized and reputable journals and periodicats, having ISBN/ISSN	10 / Publication
	;	number. Seminar/ Conference proceedings as full papers, etc. (Abstracts not to be included)	numbers. Conference proceedings as full papers, etc. (Abstracts not to be included)	
111 (B)	Research Publications (books, chapters in books, other than refereed journal articles)	l .	Text or Reference Books Published by International Publishers with an established peer review system	50 /sole author; 10 /ehapter in an edited bonk
		Subjects Books by National level publishers/State and Central Govt. Publications with ISBN/ISSN numbers.	publishers/State and Central Govt.	and 5/ chapter
		Subject Books by Other local publishers with ISBN/ISSN numbers.	Subject Books hy Other local publishers with ISBN/ISSN numbers.	author,
		Chapters contributed to edited knowledge based volumes published by International Publishers	Chapters contributed to edited knowledge hased volumes published by International Publishers	10 /Chapter
		Chapters contributed to edited knowledge based volumes published by International Publishers Chapters in knowledge based volumes by	Chapters in knowledge based volumes in Indian/National level publishers with ISBN	5 / Chapter
		Indian/National level publishers with	national and international directories	!

			·	
	: İ	directorics	<u> </u>	
III (C)	RESEARCH PR	OJECTS	-	<u> </u>
III (C) (i)	Sponsored Projects carried out/ ongoing	Major Projects amount mubilized with grants above Rs. 30.0 lakh	Major Projects amount mobilized with grants above Rs. 5.0 lakh	
		Major Projects amount mobilized with grants above Rs. 5.0 lakh up to Rs. 30.00 lakh		Project
		Minor Projects (Amount mobilized with grants above Rs.50,000 up to Rs.5 lakh)	(Amount mobilized with grants ahove	10/each Project
III (C) (ii)	Consultancy Projects carried out / ongoing	Amount mobilized with minimum of Rs.3.00 lakh	Amount mobilized with minimum of Rs.1,0 lakh	10 per every Rs.3.0 lakh and ; Rs.1.0 lakh, respectively
III (C) (iii)	Completed projects : Quality Evaluation	Completed project Report (Acceptance from funding agency)	Completed project report (Accepted hy funding agency)	project 10 / each minor
III (C) (iv)	Projects Outcome / Outputs	Major policy document of Govt. Bodies at Central and State level	Major Policy document of Govt. Bodies at Central and State level	
		Patent/ Technology transfer/ Product/ Process		50 /each for International level
III (D)	RESEARCH GU	IDANCE		i i
III (D) (i)	M.Phil./ ME/ M.Teeh	Degree awarded only	Degree awarded only	3 / each candidate
III (D) (ii)	Ph.D	Degree awarded	Degree awarded	10 /each Candidate

		Thesis submitted	Thesis submitted	7 /each candidate
III (E)	TRAINING C	OURSES AND CONF	ERENCE /SEMINAR	/ WORKSHO
III (E) (i)	Attended Refresher courses,	Not less than two weeks Duration	Not less than two weeks duration	20/each
	Methodology workshops, Training, Teaching Learning- Evaluation Technology Programmes, Soft Skills development	One week duration	One week duration	10/each
	Programmes, Faculty Development Programmes (Max: 30 points)			!
III (E) (ii)	Papers in Conferences/ Seminars/ Workshops, etc.**		Participation and Presentation nf research papers (oral/poster) in	
	 	a)International conference	a)International	15 /each
		b) National	b) National	10/ each
		c) Regional/State level	c) Regional/State	5 /each
14		d) Local -College level	d) Local - College level	3 / each
IJ (E) (iv)	Invited lectures or presentations	(a) International		10 /each
	for conferences	(b) National level	(b) National level	5 /each
	Symposia	<u></u>	: 	
**	onia ne aukilletitet	ny specific discipline, the as follows: (i) indexed	API score for paper in journals – hy 5 points: iii) papers with impact fa	(***

15 points; (iv) papers with impact factor between 5 and 10 by 25 points.

If a paper presented in Conference/Seminar is published in the form of Proceedings, the points would accrue for the publication (III (a)) and not under presentation (III

(e)(ii)).

- Notes: 1. It is incumbent on the Coordination Committee proposed in these Regulations and the to prepare and publicize within six months subject-wise lists of journals, periodicals and publishers under categories IIIA and B. Till such time, screening/selection committees will assess and verify the categorization and scores of publications.
 - 2. The API for joint publications will have to be calculated in the following manner: Of the total score for the relevant category of publication by the concerned teacher, the first/Principal author and the corresponding author/supervisor/mentor of the teacher would share equally total score, if the number of authors are more, then the first two authors would share equally 60% of the total points and the remaining authors would share equally 40% of the points.

TABLE - II (A)

MINIMUM APIS AS PROVIDED IN TABLE I

TO BE APPLIED FOR THE PROMOTION OF TEACHERS UNDER CAREERADVANCEMENT SCHEME (CAS) IN COLLEGES, AND WEIGHTAGES FOR EXPERT ASSESSMENT

		Lecturer: (Stage 1 AGP 5400 to Stage 2 AGP 6000)	6000 to Stage 3	Lecturer: (Stage 3 AGP -7000 to Stage 4 AGP 0000)	Lecturer: (Stage d AGP 8000 to Stage 5, PB4, AGP 9000)
[Teaching- learning. Evaluation Related Activities (category I)	75/Year	. 75/Year	75/Year	75/Year
1!	Cn- curricular, Extension and Profession related activities (Category II)	15/Year	15/Year	15/Year	15/Year
ווו	Minimum total average annual Score under Categories I and I!	100/Year	100/Year	100/Year	100/Year
1V	Research and Academic Contribution	10/Year (40/assessment period)	20/Year (100/assessment Period)	30/Year (90/assessment period)	40/Year (120/assessment period)

(Category III) V Expert	Screening	Screening	Selection	Selection
Assessment System	Committee	Cammittee	Committee	Committee
Percentage Distribution of Weightage Points in the Expert Assessment (Total weightage - 100. Minimum required for promotion is 50)	Na separate points. Screening committee to verify API scores	points. Screening	Contribution to Research	Contribution to Research 30 % - Assessment of domain knowledge and teaching practices. 20 % - Interview performance

Explanatory note far Tables II (A) and II (B)

- 1. All Universities / Colleges will set up verifiable systems for the API related informatian required in these tables within THREE months of notification of these Regulations. They will have to be documented and collated annually by the Internal Quality Assessment cells (IQACs) of the Universities / Colleges for follow up by the Universities / College authorities. In order to facilitate this process, all teachers shall submit the duly filled-in Performance Based Appraisal System (PBAS) proforma to the IQAC annually.
- However, in order to remedy the difficulties of collecting retrospective information and to
 facilitate the implementation of these Regulations from 31-12-2010 in the CAS Promotion,
 the API based PBAS will be progressively and prospectively rolled out.
- 3. Accordingly, the PBAS based on the API scores of categories I and II as mentioned in these tables is to be implemented for one year, initially based on the existing systems in Universities / Colleges, if any for one year only with the minimum average scores as depicted in Table II (a) and II (b). This annualized API scores can then be compounded progressively as and when the teacher becomes eligible for CAS promotion to the next cadre. Thus, if a teacher is eligible for CAS promotion in 2011, one year API scores for 2009-10 alone will be required for assessment. In case of a teacher becoming for CAS promotion in 2012, two years average af API scores for these categories will be required for assessment and so on leading progressively for the complete assessment period.
- 4. As shown in Table II, the aggregate minimum API score required can be earned from any of the two broad categories, subject to the minimum prescribed in each category. This will provide for due weightage to teachers who contribute additionally through any of the components given in Categories I and II, also for the differing nature of contributions possible in different institutional settings.
- 5. For Category III (research and academic contributions), maintenance of past record is done on a normal basis by teachers and hence no difficulty is envisaged in applying the API scores for this category for the entire assessment period. In this category, an aggregate minimum score is required for promotion over each stage. Alternatively, a teacher should acquire the required minimum aggregate score over two previous stages, taken together.

_		
6 	m re th	andidates should offer themselves for assessment for promotion, if they fulfill the inimum API scores indicated in Tables I and II, hy submitting an application and the quired proforma. They can do so three months before the due date, if they consider emselves eligible. Candidates who do not consider themselves eligible, can also apply at a ter date.
7	R	however, on final assessment, candidates do not either furfill the minimum eriteria under ows III and IV of Tables II(A) and II (B) or obtain less than 50% in the expert assessment, ey will be reassessed only after a minimum period of one year.
8	. a.	If a candidate applies for promotion on completion of the minimum eligibility period and is successful, the date of promotion will be deemed to be the minimum period of eligibility.
<u> </u>	Ь.	If, however, the candidate finds that she / he fulfills the eligibility conditions at a later date and applies on that date and is successful, her / his promotion will be deemed to be from that date of application.
	c.	If the candidate does not succeed in the first assessment, but succeeds in an eventual

TABLE - II(B)

assessment, her / his pramotion will be deemed to be from the later date.

Minimum Scores for APIs for direct recruitment of teachers in Colleges, and weightages in Selection Committees to be considered along with other specified eligibility qualifications stipulated in the Regulations.

	Lecturer / equivalent cadres (Stage 1)	Workshop Superintendent / equivalent cadres (Stage 4)	
Minimum API Scores	Minimum Qualification as stipulated in these Regulations	1 1	
Selection Committee criteria / weightages (Total Weightages = 100)	a) Academie Record and Research Performance (50%) b) Assessment of Domain Knowledge and Teaching Skills (30%) c) Interview performance (20%)	Background (20%) h) Research performance based on API score and quality	· · ·

TABLE : III

MINIMUM ACADEMIC PERFORMANCE AND SERVICE REQUIREMENTS FOR PROMOTION OF TEACHERS IN COLLEGES

Sl. No.	Promotion of Teachers through CAS	Service requirement	Minimum Academie Performance Requirements and Screening/Selection Criteria
1.	Lecturer from Stage 1 to Stage 2	Lecturer in Stage I and completed four years of service with Ph.D. or five years of service who are with M.Phil /PG Degree in Professional Courses such as ULM, M.Tech, or six years of service who are without Ph.D /M.Phil /PG Degree in Professional Courses	 (i) Minimum API scores using PBAS scoring proforma developed by the concerned State Government as per the norms provided in Table II(A)/II(B) of Appendix I. (ii) One Orientation and one Refresher / Research Methodology Course of 2/3 weeks duration approved or conducted by AICTE / Central Govt. / State Govt. / TEQIP / CHILP/ISTE/ NITTTR / IIT / DTE / SBTE / University, etc. (iii) Screening-cum-Verification process for recommending promotion.
2.	Leeturer from Stage 2 to Stage 3	Lecturer with eompleted service of five years in Stage 2.	 (i) Minimum APi scores using the PBAS scoring prinforma developed by the concerned State Government as per the norms provided in Table II(A) / II(B) of Appendix I (ii) One course / programme from among the categories of refresher courses, methodology workshops, Training, Teaching – Learning – Evaluation Technilogy Programmes, Soft Skiils development Programmes and Faculty Development Programmes of 2/3 week duration approved in conducted by AICTE / Centrol Govt. / State Govt. / TEQIP / CHILP / ISTE/ NITTTR / IIT / DTE / SBTE / University etc. (iii) Sercening-cum-Verification process for recommending promotion.
3.	Leeturer (Stage 3) to (Stage 4)	Lecturer with three years of completed service in Stage 3.	

holders and an exemption of two publications will be given to Ph. D. holders (iii)One course / programme from among the categories of methodology		
teachers, an exemption of one publication will be given to M. Phil. holders and an exemption of two publications will be given to Ph. D. holders (iii)One course / programme from among the categories of methodology workshops, Training, Teaching-Learning- Evaluation Technology Programmes, Soft Skills development Programmes and Faculty Development Programmes of minimum one week duration approved or conducted by AICTE/Central/State Govt /TEQIP / CIRLP/ISTE/NTTITR / ITT / DTE / SBTE / University, etc. (iv) A selection committee process as stipulated in these Regulation and in Tables II(A) and II(B) of Appendix 1. 4. Lecturer (Stage 4) to (Stage 5) 4. Lecturer (Stage 4) to (Stage 5) 4. Lecturer with three (i) Minimum yearly /cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the concerned State Government as per the norms provided in Table II(A)/II(B) of Appendix 1. Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in		l
publication will be given to M. Phil. holders and an exemption of two publications will be given to Ph. D. holders. (iii)One course / programme from among the categories of methodology workshops, Training, Teaching-Learning- Evaluation Technology Programmes, Soft Skills development Programmes and Faculty Development Programmes of minimum one week duration approved or conducted by AICTE/Central/State Govt /TEQIP / CIIILP/ISTE/ NITTTR / ITT / DTE / SBTE / University, etc. (iv) A selection committee process as stipulated in these Regulation and in Tables II(A) and II(B) of Appendix 1. 4. Lecturer (Stage 4) to (Stage 5) years of completed service in Stage 4. (i) Minimum yearly /cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the concerned State Government as per the norms provided in Table II(A)/II(B) of Appendix 1. Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in	!	l
holders and an exemption of two publications will be given to Ph. D. holders (iii)One course / programme from among the categories of methodology workshops, Training, Teaching-Learning- Evaluation Technology Programmes, Soft Skills development Programmes and Faculty Development Programmes of minimum one week duration approved or conducted by AICTE/Central/State Govt /TEQIP / CIIILP/ISTE/ NITTTR / HT / DTE / SBTE / University, etc. (iv) A selection committee process as stipulated in these Regulation and in Tables II(A) and II(B) of Appendix 1. 4. Lecturer (Stage 4) to (Stage 5) years of completed service in Stage 4. (i) Minimum yearly /cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the concerned State Government as per the norms provided in Table II(A)/II(B) of Appendix 1. Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in	! ;	l ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
publications will be given to Ph. D. holders (iii)One course / programme from among the categories of methodology workshops, Training, Teaching-Learning- Evaluation Technology Programmes. Soft Skills development Programmes and Faculty Development Programmes of minimum one week duration approved or conducted by AICTE/Central/State Govt /TEQIP / CIIILP/ISTE/ NITITIR / HT / DTE / SBTE / University, etc. (iv) A selection committee process as stipulated in these Regulation and in Tables II(A) and II(B) of Appendix 1. 4. Lecturer (Stage 4) to Lecturer with three (i) Minimum yearly /cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the concerned State Government as per the norms provided in Table II(A)/II(B) of Appendix 1. Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in	1:	publication will be given to M. Phil.
holders (iii)One course / programme from among the categories of methodology workshops, Training, Teaching-Learning- Evaluation Technology Programmes, Soft Skills development Programmes and Faculty Development Programmes of minimum one week duration approved or conducted hy AICTE/Central/State Govt /TEQIP / CIIILP/ISTE/ NITTTR / IIT / DTE / SBTE / University, etc. (iv) A selection committee process as stipulated in these Regulation and in Tables II(A) and II(B) of Appendix 1. 4. Lecturer (Stage 4) to (Stage 5) years of completed scores using the PBAS scoring proforma developed by the concerned State Government as per the norms provided in Table II(A)/II(B) of Appendix 1. Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in	i	holders and an exemption of two
(iii)One course / programme from among the categories of methodology workshops, Training, Teaching-Learning- Evaluation Technology Programmes, Soft Skills development Programmes and Faculty Development Programmes of minimum one week duration approved or conducted by AICTE/Central/State Govt /TEQIP / CIIILP/ISTE/ NITTTR / IIT / DTE / SBTE / University, etc. (iv) A selection committee process as stipulated in these Regulation and in Tables II(A) and II(B) of Appendix 1. 4. Lecturer (Stage 4) to Lecturer with three (i) Minimum yearly /cumulative API (Stage 5) years of completed service in Stage 4. 4. Lecturer (Stage 4) to Lecturer with three (i) Minimum yearly /cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the concerned State Government as per the norms provided in Table II(A)/II(B) of Appendix 1. Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in		publications will be given to Ph. D.
the categories of methodology workshops, Training, Teaching-Learning- Evaluation Technology Programmes, Soft Skills development Programmes and Faculty Development Programmes of minimum one week duration approved or conducted by AICTE/Central/State Govt /TEQIP / CIIILP/ISTE/ NITTITR / HT / DTE / SBTE / University, etc. (iv) A selection committee process as stipulated in these Regulation and in Tables II(A) and II(B) of Appendix 1. 4. Lecturer (Stage 4) to Lecturer with three (Stage 5) years of completed service in Stage 4. (i) Minimum yearly /cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the concerned State Government as per the norms provided in Table II(A)/II(B) of Appendix 1. Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in		holders
workshops, Training, Teaching-Learning- Evaluation Technology Programmes. Soft Skills development Programmes and Faculty Development Programmes of minimum one week duration approved or conducted by AICTE/Central/State Govt /TEQIP / CfffLP/ISTE/ NTTTTR / HT / DTE / SBTE / University, etc. (iv) A selection committee process as stipulated in these Regulation and in Tables II(A) and II(B) of Appendix 1. 4. Lecturer (Stage 4) to (Stage 5) Lecturer with three (i) Minimum yearly /cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the concerned State Government as per the norms provided in Table II(A)/II(B) of Appendix 1. Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in	!	(iii)One course / programme from among
workshops, Training, Teaching-Learning- Evaluation Technology Programmes. Soft Skills development Programmes and Faculty Development Programmes of minimum one week duration approved or conducted by AICTE/Central/State Govt /TEQIP / CfffLP/ISTE/ NTTTTR / HT / DTE / SBTE / University, etc. (iv) A selection committee process as stipulated in these Regulation and in Tables II(A) and II(B) of Appendix 1. 4. Lecturer (Stage 4) to (Stage 5) Lecturer with three (i) Minimum yearly /cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the concerned State Government as per the norms provided in Table II(A)/II(B) of Appendix 1. Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in	} ? i	the categories of methodology
Learning- Evaluation Technology Programmes, Soft Skills development Programmes and Faculty Development Programmes of minimum one week duration approved or conducted by AICTE/Central/State Govt /TEQIP / CIILP/ISTE/ NITTTR / HT / DTE / SBTE / University, etc. (iv) A selection committee process as stipulated in these Regulation and in Tables II(A) and II(B) of Appendix 1. 4. Lecturer (Stage 4) to (Stage 5) Lecturer with three (Stage 5) Lecturer with three (I) Minimum yearly /cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the concerned State Government as per the norms provided in Table II(A)/II(B) of Appendix 1. Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in		
Programmes, Soft Skills development Programmes and Faculty Development Programmes of minimum one week duration approved or conducted by AICTE/Central/State Govt /TEQIP / CIILP/ISTE / NITITR / HT / DTE / SBTE / University, etc. (iv) A selection committee process as stipulated in these Regulation and in Tables II(A) and II(B) of Appendix 1. 4. Lecturer (Stage 4) to (Stage 5) Lecturer with three (i) Minimum yearly /cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the concerned State Government as per the norms provided in Table II(A)/II(B) of Appendix 1. Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in		l
Programmes and Faculty Development Programmes of minimum one week duration approved or conducted by AICTE/Central/State Govt /TEQIP / CIPLP/ISTE/ NITTTR / HT / DTE / SBTE / University, etc. (iv) A selection committee process as stipulated in these Regulation and in Tables II(A) and II(B) of Appendix 1. 4. Lecturer (Stage 4) to Lecturer with three (Stage 5) years of completed service in Stage 4. (i) Minimum yearly /cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the concerned State Government as per the norms provided in Table II(A)/II(B) of Appendix 1. Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in		T
Programmes of minimum one week duration approved or conducted by AICTE/Central/State Govt /TEQIP / CIIILP/ISTE/ NITTTR / IIT / DTE / SBTE / University, etc. (iv) A selection committee process as stipulated in these Regulation and in Tables II(A) and II(B) of Appendix 1. 4. Lecturer (Stage 4) to Stage 5 years of completed service in Stage 4. (i) Minimum yearly /cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the concerned State Government as per the norms provided in Table II(A)/II(B) of Appendix 1. Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in		
duration approved or conducted by AICTE/Central/State Govt /TEQIP / CIPLP/ISTE/ NITTTR / IIT / DTE / SBTE / University, etc. (iv) A selection committee process as stipulated in these Regulation and in Tables II(A) and II(B) of Appendix 1. 4. Lecturer (Stage 4) to Lecturer with three (i) Minimum yearly /cumulative API (Stage 5) years of completed scores using the PBAS scoring proforma developed by the concerned State Government as per the norms provided in Table II(A)/II(B) of Appendix 1. Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in		
AICTE/Central/State Govt /TEQIP / CIRLP/ISTE/ NITTITR / HT / DTE / SBTE / University, etc. (iv) A selection committee process as stipulated in these Regulation and in Tables II(A) and II(B) of Appendix 1. 4. Lecturer (Stage 4) to Lecturer with three (i) Minimum yearly /cumulative API (Stage 5) years of completed scores using the PBAS scoring proforma developed by the concerned State Government as per the norms provided in Table II(A)/II(B) of Appendix 1. Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in		
CfftLP/ISTE/ NfTfTR / IfT / DTE / SBTE / University, etc. (iv) A selection committee process as stipulated in these Regulation and in Tables II(A) and II(B) of Appendix 1. 4. Lecturer (Stage 4) to (Stage 5) 4. Lecturer (Stage 4) to (Stage 5) 4. Lecturer (Stage 4) to (I) Minimum yearly /cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the concerned State Government as per the norms provided in Table II(A)/II(B) of Appendix 1. Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in		
SBTE / University, etc. (iv) A selection committee process as stipulated in these Regulation and in Tables II(A) and II(B) of Appendix 1. 4. Lecturer (Stage 4) to (Stage 5) Lecturer with three (i) Minimum yearly /cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the concerned State Government as per the norms provided in Table II(A)/II(B) of Appendix 1. Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in	l i	
(iv) A selection committee process as stipulated in these Regulation and in Tables II(A) and II(B) of Appendix 1. 4. Lecturer (Stage 4) to Lecturer with three (i) Minimum yearly /eumulative API (Stage 5) years of completed scores using the PBAS scoring proforma developed by the concerned State Government as per the norms provided in Table II(A)/II(B) of Appendix 1. Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in		l l
stipulated in these Regulation and in Tables II(A) and II(B) of Appendix 1. 4. Lecturer (Stage 4) to (Stage 5) 4. Lecturer (Stage 4) to (Stage 5) 4. Lecturer (Stage 4) to (I) Minimum yearty /cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the concerned State Government as per the norms provided in Table II(A)/II(B) of Appendix 1. Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in		·
4. Lecturer (Stage 4) to (Stage 5) Lecturer with three (i) Minimum yearly /cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the concerned State Government as per the norms provided in Table II(A)/II(B) of Appendix 1. Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in		1 3 3
4. Lecturer (Stage 4) to (Stage 5) Lecturer with three (i) Minimum yearly /cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the concerned State Government as per the norms provided in Table II(A)/II(B) of Appendix 1. Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in		
(Stage 5) years of completed scores using the PBAS scoring proforma developed by the concerned State Government as per the norms provided in Table II(A)/II(B) of Appendix 1. Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in		Tables II(A) and II(b) of Appendix 1.
(Stage 5) years of completed scores using the PBAS scoring proforma developed by the concerned State Government as per the norms provided in Table II(A)/II(B) of Appendix 1. Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in	4 Lecturer (Stage 4) to	Lecturer with three (i) Minimum yearly /cumulative API
service in Stage 4. proforma developed by the concerned State Government as per the norms provided in Table II(A)/II(B) of Appendix 1. Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in	` -	```
State Government as per the norms provided in Table II(A)/II(B) of Appendix 1. Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in	1 \ 2 /	
provided in Table II(A)/II(B) of Appendix 1. Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in		
Appendix 1. Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in		•
two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in		F
3) to achieve minimum API scores, if required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in	1	
required. (ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in		
(ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in		
the period that the teacher is placed in		· •
Stage J.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
terms and the second se		. 5
· · ·		• /
		stipulated in these Regulations and in
Tables II(A) and II(B) of Appendix 1.		Tables II(A) and II(B) of Appendix 1.
<u> </u>	<u></u>	·····

State Gover	rnment of		
Annual Self-Assessment for	the Performance	e Based Ap	praisal System (PBAS
Session /	Year	·	
(To be completed and	submitted at the	end of each a	cademic year)
	PART A	··	<u>-</u>
(<u>G</u> E	NERAL INFORM	IATION)	
Name (in Block Letters)		T: [·	- -
2. Father's Name / Mother's N Name	ame / Husband's	-	·
3. Department		<u> </u>	
4. Current Designation & Grade Pa	iy	 	
5. Date of last Promotion		· :	
6. Address for correspondence (wit	h Pincode)		
7. Permanent Address (with Pincoc & E-mail)	de. Telephone No.	:	
8. Whether acquired any degree of qualifications during the year:	or fresh academic	<u>-</u> † · — -	
Academic Staff College Orient Course attended during the year :	ation / Refresher		·
Name of the Course / Summer School	Place	Duration	Sponsoring Ageocy
	 	-··	
······································	··· · ·		
			
	·		
	<u> </u>		

PART B

(ACADEMIC PERFORMANCE INDICATORS)

(Please see detaited instructions of this PBAS proforma before filling out this section)

ļ	 -			ATEGOR	ŔŶŢ		<u></u> _
	<u>TEACHI</u>	NG, LEA	RNING AN	<u>ID EVALU</u>	JATIN I	RELATED ACT	<u>IIVITIES</u>
(i)							r-wise details, where
SL.	Course / Paper	Covel	Mode of teaching *	No. of per alloued	classes week	No. of Classes conducted	% of classes / practicals taken as per documented record
 	ļ				 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
* Lec	cture (L), Seminar	(S), Tuto	orial (T), Pra	ctical (P), (i Contact	Hours (C)	
							API Score
(a)	Classes Taken (80% performanc	max. 50 e, below	for 100% p which no sec	erformance ore may be	& Progiven)	portionate score	upto
(b)	Teaching Load in	n excess o	of AICTE no		core : To))	<u> </u>
(ii)	Reading / Instru- students	etional n	naterial cons	ulted and a	additiona	al knowledge res	sources provided to
SI. No.	Course / Paper	<u> </u>	Consulted	Pro	scribed	Additional	Resource Provided
!	-··						

	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY Part 1							
								
			— — ——————————————————————————————————	•				
	score based on Preparation a							
	uction as per eutriculum & syl tional resources to students (ma		by providing					
(iii)	Use of Participatory and Inno	ovative Teaching-L	earning Methodologies, Updatin	ng of Subject				
,	Content, Course Improvemen							
Si.		Short Description	<u>n</u>	API Scot				
No.								
		·		 				
				 				
	Total Score (max Score : 20)			!				
G.A.	Examination Duties Assigned	and Derformed		1				
(iv)			7-200	Time				
Sl. No.	Type of Examination Duties	Duties Assigned	Extent to which carried out (%)	API Scor				
				<u></u>				
		! !	ţ					

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

!				CATEGORY II			
<u> </u>	O-CURRICI	ULAR, E	XTENSION, P	ROFESSIONAL, DEV	VELOPMEN'	T RELATED ACT	TIVITIES
				of the following:			·
1 10a	we mention y		a loadion to any	of the following:			
St.			Type of Activ	rity	Averag	ge Hrs. / Week	API Score
No.	İ				ļ		
<u> </u>	(i) Extens	ion. Co-	curricular & fie	eld based activities	·· _		
<u> </u>	· 	· · _			-		
	·				<u> </u>	i	
	İ						
				·			
	Total (max	- 20)	<u> </u>	··· ·	<u>.</u>		
					i		
	i (ii) Contrib the Inst	ution to	Corporate Lif	e and Management of	1 -	Semester wise	API Score
	uic mşi	пшцоп			responsib	oitities	
	· · · · · –		 ·	 -	<u> </u>		
		<u> </u>		' .		·· . <u>-</u>	
				<u>-</u>	<u> </u>		
					i	·	
	Total (max	.: 15)			-		
	(iii)Profess	ional De	velopment Act	ivities			 -
	ļ		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
					i		
				•			
				·· ···		<u>-</u> -	
	· -		<u>.</u>				
	Total (max	.: 15)			I		
	Total Score	(i+ ii +	iii) (max.; 25)		···		
_				CATEGORY III			
	(RES	EARCI	<u>i, publicat</u>	IONS AND A CADE	EMIC CON	FRIBUTIONS)	
A)	Published		n Journals				– . – – – – – – – – – – – – – – –
Sl.	Title with	Journ	ISSN/ISBN	Whether peer	No. of	Whether you ar	
No.	Page Nos.	al	No.	reviewed, impact factor, if any	co-authors	the main author	Score
	İ	I		lactor, it any		İ	

:	Ţ]				[T
	<u> </u>			. i							İ
	T	i		T						•	
								.			
						j					
				<u>!</u>	-	i					
						j					
		<u> </u>		<u>; </u>		,					
30 (1)				. ļ.]
$\mathbf{B}(t)$	Articles / Cha	pters publish	ed in Boo	oks							
SI.	Tribia Turish	. David	Tieckini	77737	1121. al.						. 5.5
	Title with	1	ISSN/IS	SBN	Whether	peer	No.	to		er you are	API
No.	Page Nos.	Title,	No.		reviewed		co-		the ma	in author	Score
		editor &					author	rs :			
	İ	. publisher					:			,	
	l			'	ı						
		i									
	<u> </u>			İ							
	ļ	<u> </u>	i				l			'	
		!									
		· .	<u> </u>]						i	
]			!			1	
				: •			_				
						-					
		<u></u>					<u></u>				
(ii) Fi	III Papers in C	Conference P	rocecding	gs							
Sl.	Title with	Details of	Conferen	ice	ISSN/ISE	3N	No.	of	Wheth	or you are	API
No.	Page Nos.	Publi	cation	!	No.		co-aut	hors	the ma	ain author	Score
	_	<u> </u>		ĺ							
		_									
	<u></u>	i I									
									L . <u></u>	.	
											·
·									L :		
	<u></u> <u></u>			[.							
		 :		!							
yanara Yanara		: !		•					l		
(m) B	looks Publish	ed as single a	uthor or a	as edi	itor						
	TOTAL	·			1.1.1						
S1.	Title with F		pe of		blisher &	Wh	ether	N	o. of	Whether	API
No.	Nos.	Bo	ok &	ISS	SN/ISBN	p	еет	со-а	uthors	уоц аге	Score
		Auth	orship		No.	1 -	iewed			the main	
					= -	•			:	author	
		j							i	aumoi	
		 -				·				i	
									ļ		

[um	111	∴ जुगह ४
, T		

भारह	का	गङ्गङ	:	असाधारण
------	----	-------	---	---------

			: :			
				· :		
			ļ			!
i i		—· ·· ·	i			
		· -		<u> </u>		
<u> </u>	I	ļ				ļ
iii (C)	Ongoing and Complet	ed Research Project	ts and Cons	sultancies		i
(c) (i d	& ii) Ongoing Projects	/ Consultancies	· · ·		·	·
<u>L</u> .						
SL No.	Title	Ag	gency	Period	Grant/Amount	API
NO.			- 1	ļ	Mobilized	Score
<u> </u>				į	(Rs. Lakh)	
			I·			- †
├- ¦	··			<u></u>	<u> </u>	 -
<u>;</u>						
		ı	ļ			
(c) (iii	& iv) Completed Proje	ects / Consultancies				· — ·
Şı.	Title					
No.	riue	Agency P	- 1	rant/Amount Mobilized	Whether policy	
			- 1	Rs. in Lakh)	document/patent outcome	as Score
		. 	-		 -	
i	- · ———	J	! .			
		<u> </u>	i			
				📑		· -
(D) Re:	search Guidanee	!				
		 . 		7 · · · · · · · · ·		,
	St. No. :	Number Enrolled	Thesis St	uhmitted O	egree awarded	API Score
	1.Tech/Master in		 			
appropr	riate field		:		!	
Ph. D.	or equivalent		:			
		·-· - 		_	. <u> </u>	
(E) (I) Training Courses Development Progr				ogy Programmes	, Faculty
	Development Flogr	ammes (not less tha	n one weer	K duration)		
St. No.	Programma	e	Ouration	Orgai	nised by Al	PI Score
	<u>:</u>	·		- 	!	
	<u>i</u> .					

	·						1	
(E) (i	i) Papers presented in	Conferences, S	Seminars, Wo	rksht	ips, Sym	posia		
SI. No.	Title of the paper Title of Conference Seminar		1 2		Whether state	API Score		
E(iii)	Invited Lectures and	Chairmanships	at national or	inte	mational	conference	e/seminar, etc.	
Sl. No.	Title of Lecture Academic Session	l	Conference ninar etc.	Org	ganised by		international / ational	API Score
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·]
IV. S	UMMARY ÖF API	SCORES		<u>L_</u>]
si.	Criter	ia	Last Acade	mic	'Fotal-/	API Score	Annual Av.	APi
No.			Year			sessment eriod	Score for Asse Period	
I	Teaching, Lea Evaluation related a	•						
II	Co-curricular, Extension, Professional development, etc.				_			
·	Total (I + II)							
III.	Research and Contribution	Academic						

		DADE CONTROL DAY	
		PART C: OTHER RELEVANT INFORMATION	
Plea	use give details of	any other credential, significant contributions, awards, received, etc. not men carlier.	tinn
Sl.	Octails (Mentio	on Year, value etc. where relevant)	
Nn.			
	:	·	
		<u></u>	
	!		
LIST	OF ENCLOSU	RES: (Please attach, copies of certificates, sanction orders, papers, etc. wh	erev
		necessary)	
	·		
01	<u> </u>		
St. Nn.	i	SI. No.	
	l +		
l.		6.	
2.		7,	••••
3.		····· ·· · · · · · · · · · · · · ·	
_			
4.		9.	
5.		10.	
l cer	tify that the info	ormation provided is correct as per records available with the State Govern	
and/r	or documents end	lused along with the duly filed PBAS proforma.	nmę
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		Signature of the faculty	y wi
		Designation, Place &	ل Da
		· · · ·	
		Signature of HOD/S	cho
		Chairperson/Prin	ncip
N.B.		elf-Assessment proforma duly filled along with all enclosures, submitted for fill he verified by the State Government/College and information filed with	

	PART C : OTHER RELEVANT INFORMATION
Ptea	ise give details of any other eredential, significant cantributions, awards, received, etc. not mentioned earlier.
Sl. No.	Details (Mention Year, value, etc. where relevant)
LICT	DE ENCL Dellares, (gloss area)
LIST	DF ENCLDSURES: (Please attach, copies of certificates, sanction orders, papers, etc. wherever necessary)
C)	
S], No.	SI. No.
1.	6.
2.	7.
3.	8.
4.	9.
5.	10.
	ify that the information provided is correct as per records available with the State Government and/or
uncun	nents enclosed along with the duly filed PBAS proforms.
	41
	Signature of the faculty with
	17csignation, Place & Date
	Signature of HOD/School
	Chairperson/Principal
ND	The Annual Culf Annual and the Culf and the
N.B. :	The Annual Self-Assessment proforms duty littled along with all enclosures, submitted for CAS promotions will be verified by the State Government/College and information filed with the IQAC.

Instructions for Filing up Part B of the PBAS Proforma

Part B of the Proforma is based on the AICTE Regulations 2010. It is to be filled out for the recently completed academic year.

The proforma is to be filled as per these tables and self-assessment scores given. For each category, maximum scores that can be given or carried forward is indicated in the Table.

The self-assessment scores are further to be based on the indicators/activities given below. Universities may modify the detailed indicators and related scores based on their experience and requirement without changing the score requirements assigned to categories and sub-categories in Appendix III, Table 1.

N.B.: The self-assessment scores are subject to verification by the State Government/College, and by the Screening- cum-Verification Committee or Selection Committee as the case may be.

		Indicators/Activities	Maximum Score
	(i)	(a) Lectures/Practicals/Tutorials/Contact classes taken should be based on verifiable records.	50
		No score should be assigned if a teacher has taken less than (say) 80% assigned classes. Universities may give allowance for periods of leave where atternative teaching arrangements would ordinarily be made.	
	I	Maximum score if there is 100% achievements	
		(b) If teacher has taken classes exceeding AICTE norm, then two point to be assigned for each extra hour of classes	10
	(ii)	Imparting of knowledge/instruction vis-a-vis with the prescribed material (Text book / Manual, etc.) and methodology of the curriculum (100% compliance = 20 points)	20
-	(iii)	Use of Participatory and Innovative Teaching-Learning Methodologies Subject Content, Course Improvement, etc.	Updating
_	.	Updating of courses, design of curriculum, (5-single course)	10
-	 	Preparation of resource material, fresh reading materials, Laboratory manuals, etc.	10
_		Use of innovative teaching-learning methodologies; use of ICT;	10

4255 FT)12-K

	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	(Part III) Si
	a. ICT Based Teaching material: 10points/each	
	b. Interactive Courses : 5 points/each	
	c. Participatory Learning modules : 5 points/each	
	Developing and imparting Remedial/Bridge Courses and Counseling modules (Each activity : 5 points)	10
	Developing and imparting soft skills/communication skills/personality development courses/modules (Each activity : 5 points)	10
	Developing and imparting specialized teaching-learning programmes in physical education, library; innovative compositions and creations in music, performing and visual arts and other traditional areas (Each activity: 5 points)	10
	Organizing and conduction of popularization programmes/training courses in computer assisted teaching/web-based learning and e-library skills to students	10
·	a. Workshop/Fraining course : 10 points each	
į	b. Popularization program : 5 puints each	
- +	Maximum Aggregate Limit	20
(iv)	Examination Related Work	
_ } · ·	College/ State Government end semester/Annual Examination work as per duties allotted. (Invigilation 10 points, Evaluation of answer scripts – 5 points; Question paper setting – 5 points). (100% compliance = 20 points)	20
	College/ State Government examination/Evaluation responsibilities for internal/continuous assessment work as allotted (100% eompliance = 10 points)	10
	Examination work such as coordination, or flying squad duties, etc. (maximum of 5 or 10 depending upon intensity of duty) (100% compliance = 10 points)	10
	Maximum Aggregate Limit B (iv)	25
- 1	curricular, Extension and Profession Related Activities and Partici porate Life of the Institution	pation in th

(i)	Extension and Co-curricular Related Activities	
	Institutional Co-curricular activities for students such as field studies/educational tours, industry-imparting training and placement activity (5 point each)	
	Positions held/Leadership role played in organization linked with Extension Work and National service Scheme (NSS), NCC or any other similar activity (Each activity 10 points)	10
	Students and Staff Related Socio-Cultural and Sports Programmes, campus publications (department level 2 points, institutional level 5 points).	10
	Community work such as values of National Integration, secularism, democracy, socialism, humanism, peace, scientific temper; flood or, drought relief, small family norms, etc. (5 points each)	10
	Maximum Aggregate Limit	20
(ii)	Contribution to Corporate Life and Management of the Institution	
	Contribution to Corporate life in Universities/Colleges through meetings, popular lectures, subject related events, articles in College magazine and State Government volumes (2 point each).	10
	Institutional Governance responsibilities like, Vice Principal, Dean, Director, Warden, Bursar, School Chairperson, IQAC coordinator (10 points each)	10
	Participation in committees concerned with any aspect of departmental or institutional management such as admission enumittee, campus development, library committee (5 point each).	10
	Responsibility for, or participation in committees for Students Welfare, Counseling and Discipline (5 each)	10
	Organization of Conference/Training: International (10 points); national/regional (5 points)	10
	Maximum Aggregate Limit	15
iii)	Professional Development Related Activities	
	Membership in profession related committees at state and national	10

	a. At national level : 3 polois each				
_	b. At state level : 2 points each				
	Participation in subject associations, conferences, seminars without paper presentation	10			
	(Each activity:2 point)				
	Participation in short term training courses less than one week duration in educational technology, curriculum development, professional development, Examination reforms, Institutional governance (Each activity: 5 points)	10			
	Membership/participation in Bodies/ Committees on Education and National Development (5 cach)	. 10			
	Publication of articles in newspapers, magazine or other publications (not covered in category 3); radio talks, etc. (1 point each).	10			
	Maximum Aggregate Limit	15			
II RE	RESEARCH, PUBLICATIONS AND ACADEMIC CONTRIBUTIONS				
Thi	This is to be filled as per the AICTE Regulations, 2010. Wherever the research contribution is jointly made, the API scores should be shared between the contributors as per the formula provided in the Table 1. iii. Summary of API Scores				
is je pro	vided in the Table 1.	r the formul			
is je pro iii.	vided in the Table 1.				